झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा

पंचम (बजट)– सत्र

वर्ग– 02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 18 फाल्गुन, 1942 [श0] / 09 मार्च, 2021 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
"क"33	वन–12	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	प्रक्षेत्रों को मुक्त करना	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	24.02.21

नोट:– "क"–33 दिनांक–02/02/2021 को सदन द्वारा दिनांक–09/03/2021 के लिए स्थगित।

राँची
दिनांक:–09 मार्च, 2021 ई0

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–03/2020–......1066....../वि०स०, राँची, दिनांक:– 08/03/2021

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 8/3/21

(सुरेश रजक)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–03/2020–......1066....../वि०स०, राँची, दिनांक:– 08/03/2021

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ एवं अपर सचिव, प्रश्न तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 8/3/21

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–03/2020–......1066....../वि०स०, राँची, दिनांक:– 08/03/2021

प्रतिः– कार्यवाही शाखा, आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाईन शाखा, एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 8/3/21

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सत्यमी/–

08/03/21

सत्यमेव जयते

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

पंचम् (बजट) सत्र

वर्ग–2

18 फाल्गुन, 1942 (श0)
मंगलवार, दिनांक ------------------------को
09 मार्च, 2021 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या– 01 (एक)

(1) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग–01 (एक)

कुलयोग– एक (01)

(33) (20)

श्री दिनेश विलियम मरांडी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–12 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा एवं दुमका जिला के गोपीकान्दर के कुछ प्रक्षेत्रों को Elephant Corridor घोषित किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है, कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के इन क्षेत्रों में कभी भी हाथी या हाथी का Movement नहीं देखा गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के इन क्षेत्रों में हाथियों का आवागमन यदाकदा पूर्व में रहा है।
3– क्या यह बात सही है, कि Elephant Corridor के घोषणा से राज्य एवं केन्द्र सरकार के विकास के कार्य इन प्रक्षेत्रों में प्रभावित अथवा अवरूद्ध होंगे ;	वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार Elephant Corridor घोषित प्रक्षेत्रों को मुक्त करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–13 / 2021– 726 व०प०, राँची, दिनांक– 28.02.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–216 दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संतोष 28.2.21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

पंचम (बजट) सत्र

वर्ग–02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 18 फाल्गुन 1942 (श०) / 09 मार्च, 2021 (ई०) को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र०सं०	विभागों को भेजी गई सा० सं०	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
स्थानांतरित	302–वन–17–	श्री अमर कुमार बाउरी,	जनसुनवाई की तिथि का निर्धारण।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	25.02.2021
	303–वन–16–	श्री अमर कुमार बाउरी,	प्रदूषण पर रोक।	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	25.02.2021
	304–ख–04 –	श्रीमती सीता सोरेन,	लीज विस्तार की समीक्षा	खान एवं भूतत्व	24.02.2021
	305–वन–10–	श्री केदार हजरा,	इको फ्रेंडली पार्क का निर्माण।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	25.02.2021
	306–ख–24–	श्री इन्द्रजीत महतो	अनियमितता की जाँच।	खान एवं भूतत्व	27.02.2021
	307–टन–25–	श्री ढुलू महतो	अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण	पर्यटन,कला–संस्कृति खेल–कूद एवं युवा कार्य	25.02.2021
	308–स–28–	सुश्री अम्बा प्रसाद,	छुटे हुए विषयों की अनुशंसा	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.02.2021
	309–स–19–	श्री अमित कुमार यादव,	+2 विद्यालय में उत्क्रमित करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.02.2021
	310–स–38–	श्री रामचन्द्र सिंह,	परीक्षा आयोजित कराना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.02.2021
*	311–वन–07–	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	शाल के बीज की खरीदारी	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	25.02.2021
	312–स–37–	श्री रामचन्द्र सिंह,	अवकाश की घोषणा	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.02.2021

*→ वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापांक- 800, दिनांक-04/03/21 द्वारा कृ०पू०30/ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में स्थानांतरित ।

313– टन–19	डॉ0 लम्बोदर महतो,	पर्यटक स्थल में विकसित करना	पर्यटन,कला संस्कृति खेल–कूद एवं युवा कार्य	24.02.2021
314– उत–01	श्री बिरंची नारायण,	लॉ कॉलेज प्रारम्भ करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	17.02.2021
315 स–42	श्री नलिन सोरेन,	नियुक्ति तिथि से वेतन निर्धारण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.02.2021
316 वन–01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,	कार्यालय स्थापित करना	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	17.02.2021
317 स–22	श्री केदार हजरा,	उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021
* 318–वन–18	श्री अमित कुमार मंडल,	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	25.02.2021
319–उत–22	श्री नारायण दास,	परीक्षा भवन का निर्माण	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.02.2021
320–ख–02	श्री भानु प्रताप शाही,	मानक क्षमता के वाहन का प्रयोग	खान एवं भूतत्व	22.02.2021
321–टन–10	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	24.02.2021
322–स–34	श्रीमती अर्पणासेन गुप्ता,	उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021
323–उ–04	श्री नारायण दास,	रोजगार उपलब्ध कराना	उद्योग	24.02.2021
Δ 324–ख–20	सुश्री अम्बा प्रसाद,	बकाया राशि का भुगतान	खान एवं भूतत्व	25.02.2021
325–टन–05	श्री बंधु तिर्की,	पर्यटनीय दृष्टिकोण से विकसित करना	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	22.02.2021
# 326–ख–19	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	अनुकम्पा के मामलों का निष्पादन।	खान एवं भूतत्व	25.02.2021
327–ख–23	श्रीमती ममता देवी,	उच्चस्तरीय जाँच कराना	खान एवं भूतत्व	27.02.2021
328–टन–28	डॉ0 नीरा यादव,	पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	27.02.2021
329–टन–20	डॉ0 लम्बोदर महतो,	डैम को विकसित करना	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	24.02.2021
330–वन–23	श्रीमती सबीता महतो,	नुकसान का मुआवजा	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	27.02.2021
331–टन–32	श्री भूषण बाड़ा,	पर्यटन स्थल का दर्जा देना	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	27.02.2021
332–स0–04	श्री भानु प्रताप शाही,	विद्यालय में सीट बढ़ाना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.2021
333–ख–16	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	रैयतों की जमीन वापसी	खान एवं भूतत्व	24.02.2021
334–स0–39	श्री दीपक बिरूवा,	शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.02.2021
335–ख–13	श्री दिनेश विलियम मराण्डी,	स्थानीय नागरिकों को लाभान्वित करना।	खान एवं भूतत्व	24.02.2021

कृ0पृ0उ0 /

*→ वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के ज्ञापांक–751/02/03/21 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग में स्थानांतरित।

Δ → खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक–614/04/3/21 द्वारा परिवहन विभाग द्वारा स्थानांतरित।

→ खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक–615/04/3/21 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित।

336–टन–18	श्री कोचे मुण्डा,	पर्यटन सुविधा मुहैया कराना	पर्यटन कला–संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	24.02.2021
337–उत–07	डॉ० सरफराज अहमद,	अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
338–स–10	श्री विनोद कुमार सिंह,	नियमावली में संशोधन	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.2021
339–उ0–06	श्री दुलू महतो,	निजी उद्योगों में नियोजन	उद्योग	25.02.2021
340–स–12	श्री दशरथ गागराई,	मानदेय में वृद्धि	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.02.2021
341–ख–09	श्री कमलेश कुमार सिंह,	कैटेगोरी–1 में शामिल करना	खान एवं भूतत्व	24.02.2021
342–स–20	श्री मथुरा प्रसाद महतो	वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.02.2021
343–ख–12	श्री दिनेश विलियम मराण्डी,	क्रशर मशीन बंद कराना	खान एवं भूतत्व	24.02.2021
* 344–टन–15	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	कलाकारों को शामिल करना	पर्यटन कला संस्कृति एवं खेलकूद युवाकार्य	24.02.2021
345–उत–25	डॉ० नीरा यादव,	महाविद्यालय भवन का हस्तांतरण	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	27.02.2021
346–स–44	श्री रणधीर कुमार सिंह,	जमीन मुक्त कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26.02.2021
347–स–46	श्री प्रदीप यादव	स्थायी शिक्षक की बहाली	स्कूली शिक्षा एवं साक्षता	03.03.2021
348–उत–08	श्रीमती सीता सोरेन,	डिग्री कॉलेज खोलना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
349–उत–03	श्री मनीष जायसवाल,	योजना पूर्ण कराना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
350–वन–15	श्री राजेश कच्छप,	अवैध कारखाना को बंद कराना	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	25.02.2021
351–टन–02	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,	ईको टूरिज्म से विकास	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	17.02.2021
352–ख–17	श्री सुदिव्य कुमार,	माईका माइन्स को शुरू कराना	खान एवं भूतत्व	25.02.2021
353–स–43	श्रीमती ममता देवी,	विद्यालय निर्माण पूर्ण कराना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.02.2021
354–उत–12	डॉ० इरफान अंसारी,	महाविद्यालय खोलना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.02.2021
355–स–06	श्री दशरथ गागराई,	आवासीय विद्यालय का निर्माण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.202
356–उ0–02	श्री कमलेश कुमार सिंह,	उद्योग स्थापित करना	उद्योग	24.02.2021
357–टन–29	श्री नलिन सोरेन,	प्राचीन मंदिर का सौंदर्यीकरण	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	27.02.2021
358–टन–31	श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता	मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	27.02.2021
Δ 359–सूई–02	श्री कुमार जयमंगल,	अभियंत्रण महाविद्यालय का कार्य प्रारंभ कराना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेस	25.02.2021

*→ पर्य०, क०, सं०, खे० कू० एवं युवा कार्य विभाग के जापांक–456/03/3/21 द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को स्थानांतरित। कृ०पृ०उ०/

Δ → सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग के जापांक–414/02/3/21 द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को स्थानांतरित।

1.	2.	3.	4.	5.	6.
360–वन–05		श्री मनीष जायसवाल,	उद्यान के तर्ज पर विकसित करना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.02.2021
361–उत–23		श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति	उच्च एवं तकनीकी	25.02.2021
362–वन–20		श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता,	वृक्षा रोपण कराना	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	25.02.2021
363–उत–10 17		श्री अनंत कुमार ओझा,	परीक्षा भवन का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।	24.02.2021

राँची।
दिनांक–09 मार्च,2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–1005/वि0स0,रांची,दिनांक– 05/03/2021

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 05/03/21
(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–1005/वि0स0,रांची,दिनांक–05/03/2021

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित

सुरेश 05/3/21
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–1005/वि0स0,रांची,दिनांक–05/03/2021

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 05/3/21
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राव/

05.03.21

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–17 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1–क्या यह बात सही है, कि वेंदाता कम्पनी की स्थापना (एलोक्ट्रोस्टील) वर्ष 2008 ई0 में बोकारो जिला के चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में की गई;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2008 से मेसर्स एलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लि0 के नाम से था। जून 2018 में उक्त सम्पति का वेदान्ता द्वारा अधिकृत किया गया है, जो चन्दनकियारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चास प्रखण्ड के भागाबाँध मौजा में अवस्थित है।
2–क्या यह बात सही है कि कारखाना के विस्तारीकरण हेतु दिनांक–16 दिसम्बर, 2020 को कम्पनी एवं सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा कारखाना परिसर में ही जन–सुनवाई की गई थी, जिसमें कोविड–19 को बहाना बनाकर स्थानीय ग्रामीणों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों रैयतों में कम्पनी के खिलाफ काफी आक्रोश है;	अस्वीकारात्मक। दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 को Maitri Kreeda Sthal (Ground), Khata-16, Plot No-21, Siyaljori, Dist.-Bokaro, Jharkhand में जन–सुनवाई की गई थी। जन–सुनवाई में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पश्चिम जोन) द्वारा O.A. No-20/2020 में दिए गए न्यायादेश के अनुरुप COVID-19 के आलोक में प्रावधानानुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा–निर्देश के आलोक में लोक सुनवाई में भाग लेने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई थी। तदनुसार किसी भी ग्रामीण अथवा रैयतों को जन–सुनवाई में भाग लेने से रोका नहीं गया था।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दिनांक–16 दिसम्बर, 2020 को हुई बैठक की कार्रवाई रद्द करते हुए स्थानीय ग्रामीणों/रैयतों को शामिल करते हुए पुनः जन सुनवाई की तिथि निर्धारित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। जन–सुनवाई नियमानुसार की गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–23/2021–853 व0प0, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–391 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8-3-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

VIDHAN SABHA 2021

303

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–16 की उत्तर सामग्री:–

प्रश्न	उत्तर
1–क्या यह बात सही है, कि वेदांता कम्पनी की स्थापना (एलोक्ट्रोस्टील) वर्ष 2008 ई० में बोकारो जिला के चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में की गई;	इंगित इकाई वर्ष 2008 से मेसर्स एलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लि० के नाम से था (जून 2018 में उक्त सम्पति का वेदान्ता द्वारा अधिग्रहण किया गया है)। यह बोकारो जिला के अंतर्गत चास प्रखण्ड के भागाबाँध मौजा में अवस्थित है।
2–क्या यह बात सही है कि कारखाना परिसर में ही भागा बाँध अवस्थित है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आज भी आवासित है;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान कारखाना चास प्रखण्ड के भागाबाँध मौजा में अवस्थित है। कारखाना परिसर में ग्रामीण आवासीय भवन अवस्थित नहीं है।
3–क्या यह बात सही है कि कारखाना से व्यापक पैमाने में प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे भागा बाँध मौजा के साथ आस–पास के गाँव में ग्रामीण कैंसर व अन्य गंभीर बिमारी से पीड़ित हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक। इकाई द्वारा वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण लगाये गए हैं, यथा ई०एस०पी०, बैग फिल्टर्स, फिक्स्ड टाईप वाटर स्प्रींकलर्स, वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम इत्यादि स्थापित है। इकाई द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निम्न प्रतिवेदित किया गया है :– "भागाबाँध मौजा के साथ आस–पास गाँव से विगत वर्षों में कैंसर रोग से ग्रसित मरीज न ही सामु०स्वा० केन्द्र, चन्दनकियारी और ना ही सदर अस्पताल, बोकारो में चिन्हित किये गये हैं।"
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मानक के तहत् कारखाना से हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। पर्षद द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों का अनुश्रवण किया जाता है एवं आवश्यक निदेश दिये जाते है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–22 / 2021– 857 व०प०, राँची, दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–396 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड,रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 8-3-21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

F/VIDHAN SABHA-2021 (Ashok)

(309)

श्रीमती सीता सोरेन, स0 वि0 स0द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–04

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

<table>
<tr><th>क0सं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1-</td><td>क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सेल (SAIL) को पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित लौह अयस्क खनन पट्टों का अवधि विस्तार रॉयल्टी पर अतिरिक्त शुल्क वसूले बिना अगले 20 वर्ष के लिए कर दिया गया है;</td><td>पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला स्थित मेसर्स सेल के लौह अयस्क खनन पट्टों का अवधि विस्तार MMGC Rule 2015 के तहत दी गई है। सरकारी कंपनी के खनन पट्टा अवधि विस्तार के संबंध में MMGC Rule 2015 के नियम 5 में निम्न प्रावधान अंकित है:– 5. "Payments by a Government company or corporation under sub-section (2C) of section 17A of the Act.-(1) A Government company or corporation or a joint venture, granted a mining lease in accordace with the provisions of subsections (2A) and (2B) of section 17 A of the Act, shall pay an amount equivalent to a percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule to the Act, as notified by the Central Government in each case" उपरोक्त नियम के आलोक में मेसर्स सेल को नियमानुसार देय राशि के भुगतान हेतु मांग पत्र निर्गत किया गया था, जिसकी विवरणी निम्न है:–
<table>
<tr><th>Sl.</th><th>Name of Company</th><th>Due Principle Amount (in lakh)</th><th>Paid Amount (in lakh)</th><th>Certificate Case No.</th><th>Pending WP(C)NO.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>M/s SAIL Goa</td><td>68741.37</td><td>0.00</td><td>14/MC 2020-21</td><td>6772/2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>M/s SAIL Kiriburu Meghahatuburu</td><td>222386.94</td><td>0.00</td><td>15/MC 2020-21</td><td>6746/2019</td></tr>
<tr><td>3</td><td>M/s SAIL Manoharpur</td><td>6910.29</td><td>0.00</td><td>16/MC 2020-21</td><td>6775/2019</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>298038.60</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
</table>
मेसर्स सेल द्वारा उपरोक्त वर्णित मांग की राशि के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉंची में रिट दायर किया गया है, जो विचाराधीन है।</td></tr>
<tr><td>2-</td><td>क्या यह बात सही है, कि रॉयल्टी पर अतिरिक्त अधिशुल्क नहीं वसूले जाने के कारण झारखण्ड सरकार को 2000 करोड़ रूपये का आर्थिक नुकसान हुआ है;</td><td>उपरोक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
<tr><td>3-</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार लीज विस्तार में बरती गई अनियमितता को देखते हुए सेल (SAIL)का चालान रोककर भारत सरकार से लीज विस्तार का पुनः समीक्षा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>उपरोक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि0स0(ता0)–18 / 2021 653 / एम0, रॉंची, दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–203 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(305)

श्री केदार हाजरा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–10 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ विधानसभा के जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत झारो नदी एवं सिमसिमडीह में इकोफ्रेंडली पार्क के निर्माण हेतु गिरिडीह जिला से प्राक्कलन तैयार कर सरकार के स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजा गया है ;	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के कार्यालय पत्रांक–1186 दिनांक–08.07.2019 के द्वारा इकोफ्रेंडली पार्क, जमुआ के निर्माण हेतु एक तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक को समर्पित किया गया है।
2– क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित स्थान पर गिरिडीह प्रशासन द्वारा इकोफ्रेंडली पार्क के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पदाधिकारी के लापरवाही के कारण अब तक नहीं दी गई है ;	अस्वीकारात्मक।
3–क्या यह बात सही है कि निहित स्थान पर इकोफ्रेंडली पार्क का निर्माण नहीं होने से गाँव के बच्चों को भी मानसिक विकास के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। बच्चों की शिक्षा एवं उनके मानसिक विकास हेतु शिक्षा विभाग यथोचित कार्यक्रम चलाता है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई करते हुए सिमसिमडीह एवं झारो नदी पर इकोफ्रेंडली पार्क के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह कार्य संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–20/2021– 850 व0प0, राँची, दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–363 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8-3-2021
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(306)

श्री इन्द्रजीत महतो, स० वि० स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–24

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला अन्तर्गत सिन्दरी विधान–सभा क्षेत्र में झरिया पुर्नवास योजना के तहत बेलगड़िया न्यू टाउनशीप में झरिया पुर्नवास एवं विकास प्राधिकार (JRDA) के तहत हजारों आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है;	कोयला मंत्रालय द्वारा झरिया पुर्नवास योजना कोल इण्डिया लि0 के बी0सी0सी0एल0 के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। JRDA सोसाईटी को फंड बी0सी0सी0एल0 के माध्यम से उपलब्ध की जाती है।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त आवास निर्माण कार्य निम्न स्तर का किया गया है एवं गुणवत्ता मानक के अनुरूप कार्य संवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है। बालू की जगह स्टोन डस्ट एवं निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे कभी भी बड़े हादसे का शिकार प्रभावित परिवार के लोग हो सकते है;	संबंधित बी0सी0सी0एल0 को सूचित किया गया है।
3-	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आवासीय भवनों में हो रही अनियमिता की उच्च स्तरीय जाँच कराकर संवेदक एवं विभागीय अधिकारी पर कार्रवाई करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता0)–41/2021 652 /एम0, राँची, दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–866 दिनांक–03.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव 8/3/21

(304)

श्री ढुलू महतो, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 09.03.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या–टन–25 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री ढुलू महतो, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड में सर्वाधिक राजस्व देने वाला धनबाद जिला है और इस जिले में एक भी सर्व सुविधायुक्त अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है;	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिला में एक अत्याधुनिक सुविधायुक्त बड़ा स्टेडियम यथा– मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है।
2	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के नागरिकों की ओर से हमेशा एक अत्याधुनिक स्टेडियम की मांग वर्षों से की जा रही है;	कंडिका–1 में उत्तर निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद में सर्व सुविधायुक्त अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में उत्तर निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 30/2021 ...499 / राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 399/वि०स०, दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०) 8/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(308)

516
08/03/2021

सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स०–28

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के आलोक में नियुक्ति नियमावली के अध्याय–6 की कंडिका–9(*i*) में स्पष्ट अंकित है कि यदि 25 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित रिक्त पदों पर सीटें खाली रहती है, तो वैसी स्थिति में उक्त रिक्त पद को 75 प्रतिशत सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों से उक्त रिक्त पदों को भरने का प्रावधान था,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015, जो विभागीय अधिसूचना सं0–434 दिनांक 01.03.2016 द्वारा अधिसूचित है, के अध्याय–6 कंडिका 9(*i*) में अंकित है कि ...... चिन्हित रिक्तियों में से 25 प्रतिशत पद सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हत्ता प्राप्त पाँच वर्षो के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। परन्तु यह कि प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हत्ता प्राप्त शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं पाये जाते हैं, तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर भी सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।
2	क्या यह बात सही है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई अधियाचना पत्र में विज्ञप्ति से अंकित अन्य विषयों को छोड़कर मात्र 6 विषयों को ही शामिल किया गया;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त संदर्भ में झारखण्ड विधान सभा की प्रश्न ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की दिनांक 07.02.2019 को गई अनुशंसा एवं इस पर विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के आलोक में विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन कर तद्नुसार माध्यमिक स्तर पर *Compulsory* विषय अन्तर्गत रिक्त पदों को पहले भरने हेतु विभागीय पत्रांक–2264 दिनांक 29.08.2019 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को विज्ञापन संख्या–21/2016 के आलोक में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा–2016 के आधार पर प्रारंभिक विद्यालयों के अर्हत्ता प्राप्त शिक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदो के रिक्त पदो के विरुद्ध 75 प्रतिशत (सीधी भर्त्ती) के गैर अनुशंसित अर्हत्ता प्राप्त अभ्यर्थियों से भरने हेतु अनुशंसा संबंधित जिलों को भेजने हेतु निदेश निर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के आलोक में नियुक्ति नियमावली के अध्याय–6 की कंडिका–9(*i*) का अनुपालन करते हुए छूटे सभी (अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, संथाली, उर्दू, नागपुरी, पंचपरगनियां, कुरमाली, मुंडारी, खोरठा, गृह विज्ञान, संगीत एवं कुडुख इत्यादि) विषयों की अनुशंसा का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक–2264 दिनांक 29.08.2019 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित निदेश के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसा अब तक अप्राप्त है। साथ ही *W.P.(C) No.-1387/2017* सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.09.2020 को पारित न्यायादेश द्वारा राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में विज्ञापन सं.–21/2016 के उस अंश, जिसके द्वारा जिला के स्थानीय निवासी को ही आवेदन करने का प्रावधान था, उसे रद्द कर दिया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक–1044 दिनांक 18.02.2021 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित 11 जिलों के परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति करने पर भी महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में तत्काल रोक है।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–20 / 2021......516...... रॉंची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

309

527
08/03/2021

श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–19		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड बरकट्ठा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कल्हाबाद को +2 विद्यालय में उत्क्रमित किया जाना जनहित एवं छात्रहित में अति आवश्यक है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कल्हाबाद से 07 कि०मी० की दूरी में उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, कपका स्थित है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित होने से छात्र–छात्राओं को 07–10 कि०मी० दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी;	उत्तर खण्ड–1 में सन्निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कल्हाबाद, बरकट्ठा को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक–1471 दिनांक 15.09.2020 द्वारा राज्य के सभी जिलों को आवश्यकतानुसार +2 विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन कर +2 विद्यालय में उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया है। कई जिलों से अनुशंसा सूची उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु कतिपय जिले से सूची अप्राप्त है। प्राप्त सूची की विभाग के स्तर पर समीक्षा की जा रही है एवं शेष अप्राप्त जिले से भी सूची की मांग की गयी है।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–22/2021 527 रॉंची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

(310)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

487
07.3.21

श्री रामचन्द्र सिंह, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-38

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष नहीं हो रहा है जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन हेतु "झारखण्ड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली की कंडिका-12 के अनुसार प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जानी है। जिस हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची को प्राधिकृत किया गया है। पत्रांक-1605, दिनांक 04.10.2019 के द्वारा परीक्षा आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद (JAC) से अनुरोध किया गया है, जिसके संदर्भ में JAC द्वारा नियमावली के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रति वर्ष परीक्षा का आयोजन नहीं होने से झारखण्ड के प्रतिभावना छात्र-छात्राओं को सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है;	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 में निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार प्रति वर्ष परीक्षा को आयोजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 में निहित है।

7/3/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-28/2021....497..../राँची, दिनांक ..07.03....2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 652, दिनांक 27.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/2021
सरकार के अवर सचिव

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-वन-07 का प्रश्नोत्तर:-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुतायत में शाल बीज उत्पादित होता ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इन बीजों को इकट्ठा कर बेच के बहुत से वनवासियों का परिवार चलता है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पहले वन विभाग द्वारा शाल बीज की खरीददारी की जाती थी, जो वर्तमान में बंद है, जिससे क्षेत्र के वनवासियों का रोजगार प्रभावित हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फिर से शाल के बीच खरीदने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अगामी मौसम में साल बीज आहरण करने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना MSP for MFP योजना अन्तर्गत योजना प्रस्तावित कर भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-07/ग्राम्यकोषेष (वि०स०) तारांकित-11/2021 सह०.309 /राँची, दिनांक-08.03.2021

प्रतिलिपि:-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०-364 वि०स० दिनांक-25.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-07/ग्राम्यकोषेष (वि०स०) तारांकित-11/2021 सह०.309 /राँची, दिनांक-08.03.2021

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/21

सरकार के अवर सचिव।

(312)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

423
07.03.21

श्री रामचन्द्र सिंह, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-37

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के उर्दू विद्यालयों में पूर्व में परिचालित राजकीय अवकाश के अनुसार वृहस्पतिवार को आधा दिन एवं शुक्रवार को पुरा दिन अवकाश घोषित था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा खण्ड-1 के वर्णित अवकाश को संशोधित कर अन्य विद्यालयों की तरह शनिवार एवं रविवार कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि ज्ञापांक–99, दिनांक–22.01.2021 के माध्यम से उर्दू विद्यालयों में पूर्व की तरह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश एवं रविवार को विद्यालय कार्य दिवस रहने का निर्णय संसूचित किया गया है। बृहस्पतिवार को आधे दिन का अवकाश परिचालन में है, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है? कि उर्दू विद्यालयों की स्थापना मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में किया गया है, पूर्व घोषित अवकाश संशोधन से मुस्लिम समुदाय के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को नमाज अदा करने इत्यादि में परेशानी हो रही है;	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में सन्निहित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उर्दू विद्यालयों में पूर्व की तरह बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को अवकाश की घोषणा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में सन्निहित है।

(हस्ताक्षर) 5/3/2021

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14/व.2–02/2021......423..../राँची, दिनांक ...07.03.......2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 651, दिनांक 27.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 5/3/2021

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–19 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत लूगू–बुरू तैनुघाट डैम, दलाही कुण्ड तथा भैरव स्थल विभागीय अधिसूचना–5, दिनांक–27.04.2016 के तहत् पर्यटन स्थल के रूप मे चिन्हित/ अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है तथा राज्य पर्यटन सर्वेक्षण समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों के रूप अधिसूचित होने की प्रत्याशा में है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** बोकारो जिलान्तर्गत लूगुबुरू तैनुघाट डैम, दलाही कुण्ड तथा भैरव स्थल पर्यटक स्थल के रूप अधिसूचित हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि इसमें से लूगुबुरू संथाल आदिवासी समुदाय के धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ स्थल है एवं प्रत्येक वर्ष आदिवासी देश–विदेश से उक्त स्थल पर दर्शन एवं पूजन करने आते है;	2.	**स्वीकारात्मक**
3.	क्या यह बात सही है कि सेवाती घाटी, दुर्गापुर पहाड़ी, मृगखोह तथा रालखन टुंगरी में भी पर्यटन की असीम संभावनाऐं है;	3.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
4.	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्थलों को यथाशीघ्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	लूगुबुरू के पर्यटकीय विकास हेतु विभाग से रू० 11.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत यहाँ सामुदायिक भवन, म्यूजियम, पार्क, तालाब के चारो ओर घाट निर्माण व घटाबाड़ी जाने के लिए सीढ़ी निर्माण शामिल है। तेनुघाट में पर्यटकों हेतु टूरिस्ट कॉम्पलेक्स निर्मित व संचालित है। अन्य आवश्यक सुविधाओं के निर्माण व जलक्रीड़ा का संचालन स्थल में पर्यटन संभावना के अनुरूप कराये जाने पर भूमि व बजट उपलब्धता देखते हुए विचार किया जायेगा। दलाही कुण्ड व भैरव स्थल श्रेणी–C के पर्यटक स्थल है तथा खण्ड–2 मे वर्णित स्थल पर्यटन स्थल अधिसूचित नहीं है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/ अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति बोकारो को रू०4.05 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे बोकारो जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। खण्ड–2 में उल्लेखित स्थलों के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा। साथ ही दलाही कुण्ड व भैरव स्थल पर आवश्यक सुविधा विकास भी जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय व उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/28/2021 503 /राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–181/वि०स०, दिनांक–24/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

3/4

श्री बिरंची नारायण, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत 01

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो में एक लॉ कॉलेज प्रारंभ करने की आवश्यकता है ?	स्वीकारात्मक
02.	क्या यह सही है, कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लॉ कॉलेज खोलने हेतु मैने मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को पत्रांक–167 / बी0एन0 / 2021, दिनांक 20.01.2021 प्रेषित किया है, लेकिन अब तक उक्त पत्र पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।	अस्वीकारात्मक। विभागीय पत्र संख्या–145, दिनांक 11.08.2020 के द्वारा उपायुक्त, बोकारो से भूमि चिन्हित करने का निदेश दिया गया है एवं पत्रांक–214, दिनांक 08.02.2021 द्वारा स्मारित किया गया है।
03.	क्या यह सही है, कि वर्त्तमान में बार कौंसिल ऑफ इंडिया भी बोकारो में लॉ कॉलेज प्रारंभ करवाना चाहती है, जिससे बोकारो के अलावा गिरिडीह, धनबाद समेत कोयलांचल के उन विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त होगा, जो विधि की शिक्षा प्राप्त करना चाहते है ?	स्वीकारात्मक। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र संख्या–55, दिनांक 07.01.2020 द्वारा लॉ कॉलेज खोलने हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो में लॉ कॉलेज प्रारंभ करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	यह प्रस्ताव समीक्षाधीन है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : DHEsec1 / बजट सत्र 2021–1 / 2021HTESD 269 / रॉंची, दिनांक : 27/02/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को पत्रांक–52, दिनांक 17.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2021

सरकार के अवर सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
झारखंड, रॉंची

315

524
08/03/2021

श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–42

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या–2367 दिनांक 27.12.2017 के द्वारा राज्य के 81–82 चरण के परियोजना विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मियों का 01.01.82 नियुक्ति तिथि से वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस संकल्प द्वारा राज्य के वर्ष 1981–82 चरण के परियोजना विद्यालय के मात्र शिक्षकों को दिनांक 01.01.1982 अथवा नियुक्ति तिथि, जो बाद में हो, के प्रभाव से निर्धारित वेतनमान् में वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 745 दिनांक 06.03.2018 द्वारा विभेदपूर्ण तरीके से मात्र 352 शिक्षकों की सूची प्रकाशित की गयी है तथा बहुत शिक्षकों एवं कर्मियों का नाम छोड़ दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन 352 शिक्षकों की सूची, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 645 दिनांक 06.03.2018 द्वारा जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं सूची के आधार पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त करते हुए निर्गत किया गया है। बाद में विभिन्न जिलों द्वारा सूचित किया गया कि कतिपय शिक्षकों तथा वर्ष 1981–82 चरण के परियोजना विद्यालय के सभी शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा भी, जो दिनांक 01.01.1982 अथवा नियुक्ति तिथि, जो बाद में हो, के प्रभाव से निर्धारित वेतनमान् में वेतन भुगतान का दावा कर रहे हैं। फलतः ऐसे छूटे हुए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सूची पुनः सभी जिलों से प्राप्त की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि छूटे हुए शिक्षकों एवं कर्मियों की सूची जो विभाग के संज्ञान में है, उनको भी 01.01.82 से वेतन निर्धारित करना चाहती है;	स्वीकारात्मक। जिलों से प्राप्त छूटे हुए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के दावे की सत्यता की जांच हेतु निदेशालयीय आदेश ज्ञापांक 670 दिनांक 26.03.2020 द्वारा संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। समिति से अनुशंसित सूची, सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनार्थ रखी गयी थी। वर्तमान में निदेशानुसार, समेकित सूची सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंतिम रूप से अवलोकन एवं प्रमाण पत्र (***Undertaking***) **समर्पित किये जाने हेतु प्रेषित की गयी है कि "कोई भी नाम नहीं छूटा है तथा भविष्य में एक भी नाम छूटा हुआ पाये जाने की पूरी–पूरी जबाबदेही उनकी होगी।"**
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 81–82 चरण के छूटे हुए शिक्षकों एवं कर्मियों को 01.01.82 नियुक्ति तिथि से वेतन निर्धारित कर भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका–03 में सन्निहित है। प्रश्नाधीन वेतन निर्धारण एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई अंतिम चरण में है।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–40 / 2021......524......... राँची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

(316)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–01 की उत्तर सामग्री:–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि वनों के संरक्षण एवं उचित रख–रखाव के लिए वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी का कार्यालय, मैक्लुस्कीगंज में होना जरूरी है ; 2– क्या यह बात सही है, कि वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी का कार्यालय मैक्लुस्कीगंज में स्थापित होने से वनों का रख–रखाव तथा विकास कराया जा सकता है ;	मैक्लुस्कीगंज एवं आस–पास के वनों के संरक्षण एवं उचित रख–रखाव के लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बुड़मू का मुख्यालय मांडर में अवस्थित है। वनों के संरक्षण एवं उचित रख–रखाव के लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का मुख्यालय मैक्लुस्कीगंज में होना जरुरी है या नहीं यह वन क्षेत्रों के पुनर्गठन की समीक्षा में ही स्पष्ट हो सकता है। इस प्रकार की समीक्षा समय–समय पर विभाग द्वारा की जाती है एवं ततपश्चात् विभिन्न स्तर पर वन पदाधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन क्षेत्र का आवश्यकतानुसार पुनर्गठन कर मुख्यालय निर्धारित किया जाता है।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राँची जिला के चान्हो एवं खलारी प्रखण्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का कार्यालय मैक्लुस्कीगंज में स्वीकृत एवं स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–05/2021– 858 व0प0, राँची, दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–55 दिनांक–17.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.3.21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

F/VIDHAN SABHA-2021 (Mukesh)

317

522
08/03/2021

श्री केदार हजरा, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–ता0–22		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है, जिसके कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं को उच्च विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु करीब 7 कि०मी० से 10 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है;	स्वीकारात्मक। देवरी प्रखण्ड में 06 सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 02 उच्चतर माध्यमिक (+2) विद्यालय, 01 कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं 01 मॉडल विद्यालय के अतिरिक्त 02 स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय संचालित हैं।
2	क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय, घोसे, जो देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित है, उसे उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, घोसे को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय अधिसूचना संख्या–2748 दिनांक 18.11.2018 द्वारा निर्धारित अर्हत्ता के अनुसार प्रत्येक 05 कि०मी० की परिधि तथा 5000 की आबादी पर एक माध्यमिक विद्यालय का उत्क्रमण किया जाना है। प्रश्नांकित विद्यालय को वर्तमान में उत्क्रमित करने का कोई भी प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं है। विद्यालय के पास लगभग 01 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें मध्य विद्यालय का भवन आदि भी निर्मित है।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–34/2021 522 रॉंची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार मंडल, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन0–18

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला अंतर्गत कझिया, हरना, सुंदर, गेरूआ आदि नदियों का अस्तित्व व्यापक पैमानें पर बालू के अवैध खनन के कारण मिटता जा रहा है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। District Survey Report के अनुसार स्थानीय परिस्थिति के आलोक में बालू घाट के Category का निर्धारण किया जाता है, जिसकी विवेचना Jharkhand Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका–2 में की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में कुल 410 वाहनों पर कार्रवाई की गयी है, 57 में प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा 68.17 लाख रूपये के जुर्माना की वसूली की गयी है।
2-	क्या यह बात सही है कि जिले के सदर, मुफसिल पोडैयाहाट, पथरगामा, बसंतराय, एवं मोतिया ओपि से रात दिन हाइवा एवं ट्रकों से बालू कि चोरी व्यापक पैमाने पर बिहार एवं दूसरे जिलों में लगातार हो रहा है;	यथा उपरोक्त
3-	क्या यह बात सही है कि अवैध खनन के चलते सिंचाई एवं पेयजल की गंभीर समस्या जिले में उत्पन्न हो गई है;	यथा उपरोक्त
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए वैसे पदाधिकारीयों के ऊपर विभागीय कार्यवाही करने कि मंशा रखती है, जिनके मिली भगत से अवैध खन्न हो रहा है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि0स0(ता0)–39/2021 665 /एम0, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–392 दिनांक–25.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-22 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य का जिला देवघर बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ छात्र-छात्राएँ बिहार से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आते हैं ;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि रेल व सड़क मार्ग सुसम्पन्न क्षेत्र होने के कारण तथा संथाल परगना का महत्वपूर्ण जिला होने के कारण यहाँ के छात्र-छात्राओं को केन्द्र व राज्य स्तरीय ऑन लाईन प्रतियोगिता परीक्षा हेतु राज्य के अन्यत्र जिला में जाने को विवश है ;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला मुख्यालय में ऑन-लाईन प्रतियोगिता परीक्षा का भवन स्थापित नहीं होने से यहाँ के अभ्यर्थियों को कठिनाईयाँ हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक (1) ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अलग से कोई भवन विशेष स्थापित नहीं है । (2) अधिकृत आयोग/बोर्ड द्वारा जिला मुख्यालय के चिन्हित महाविद्यालयों/ संस्थानों में समय-समय पर ऑनलाइन/ ऑफलाइन प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवघर जिला मुख्यालय स्थित केन्द्र और राज्यस्तरीय ऑन-ऑफ लाईन प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संयुक्त परीक्षा भवन निर्माण कराकर छात्र-छात्राओं को सुविधा दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभाग का कोई निर्णय अभी नहीं है ।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-17/2021HTESD 330 / रांची, दिनांक- 08/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-191 दिनांक-24.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

08/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

320

श्री भानु प्रताप शाही, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–02

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पूरे गढ़वा जिले में पड़ने वाले बालू घाटों की टेण्डर निस्तारण हो जाने से बालू की ढुलाई जोरों पर है;	अस्वीकारात्मक। Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 में बन्दोबस्ती या नीलामी का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2017 के पूर्व यदि कोई भी खनन पट्टा का निष्पादन किया गया है, तो उसका संचालन डीड में वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुरूप किया जाता है।
2-	क्या यह बात सही है कि रंगाडीह खरसोता कोयल नदी, पंडा नदी में से बालू भारी वाहन से ले जाने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले सड़क क्रमशः विशुनपुरा से नगर, होते हुए विलासपुर तक, काण्डी से केतार होते हुए खरौंधी उत्तर प्रदेश सीमा तक, पचडुमर से चनना खोखा तक सड़क होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक भारी वाहन से रोज सड़क टूट रही है;	अस्वीकारात्मक। गढ़वा जिलान्तर्गत वर्तमान में खरसोता, पाचाडुमर, बेलचम्पा एवं करकोमा बालू घाट चालू है। जिसमें परिवहन चालान में अंकित मात्रा के अनुसार ही बालू का प्रेषण होता है। अंकित मात्रा से अधिक बालू का प्रेषण पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाती है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू उठाव के लिए एक मानक क्षमता के वाहन का प्रयोग करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

ज्ञापांक:–वि0स0(ता0)–10/2021 657 /एम0, राँची, दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–133 दिनांक–22.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

321

श्री समीर कुमार मोहन्ती, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 09.03.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या–टन–10 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री समीर कुमार मोहन्ती, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि जिला मुख्यालय से मेरे विधानसभा क्षेत्र लगभग 80 कि०मी० दूर है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि कोई भी खेल प्रशिक्षण हेतु क्षेत्र के खिलाड़ियों को 80 कि०मी० की दूरी तय करके जिला मुख्यालय जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान मे पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में 04 डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।
3	क्या यह बात सही है, कि क्षेत्र में एक खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना होने से स्थानीय खिलाड़ियों को काफी लाभ पहुँचेगा;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चाकुलिया में खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में चाकुलिया में क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित आवासीय एवं डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र संचालन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त बजटीय उपलब्धता के आधार पर चाकुलिया में क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–34/2021 501 / राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–200/वि०स०, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के संयुक्त सचिव

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

झारखण्ड, राँची।

322

529
08/03/2021

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स०–34		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है धनबाद जिला के प्रखण्ड निरसा अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पलारपुर में 417 एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भागाबांध में 205 छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों विद्यालयों से उच्च विद्यालय की दूरी 7–8 कि०मी० है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भागाबांध, पंचायत–भागाबांध से उत्तर दिशा में उच्च विद्यालय, पान्ड्रा पोड़ाडीह, पंचायत उपचुरिया की दूरी 6 कि०मी० एवं पूर्व दिशा में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मदनडीह, पंचायत–मदनडीह तथा पश्चिम दिशा में उच्च विद्यालय, बेनागड़िया, पंचायत–बेनागड़िया की दूरी 8–8 कि०मी० है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पलारपुर, पंचायत–पलारपुर से उत्तर दिशा में उच्च विद्यालय, मदनडीह, पंचायत मदनडीह की दूरी 6.5 कि०मी०, दक्षिण दिशा में एस.एस.के.वी.सी. उच्च विद्यालय, निरसा, पंचायत–हरियाजाम की दूरी 10 कि०मी० एवं पश्चिमी दिशा में उच्च विद्यालय पान्ड्रा, पोड़ाडीह, पंचायत–उपचुरिया की दूरी 6.5 कि०मी० है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पलारपुर एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भागाबांध के छात्र–छात्राओं के अग्रेतर उच्च विद्यालय तक के शिक्षण हेतु उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा देने का विचार रखती है, हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के पत्रांक जे.ई.पी.सी./430 दिनांक 27.02.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में मध्य विद्यालयों के उत्क्रमण का प्रस्ताव भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) के समक्ष रखा जाना है, जिसके अनुमोदन के उपरान्त ही उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण का मामला राज्य सरकार के विचार हेतु लाया जाना है।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–24/2021 529 रॉंची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

323

श्री नारायण दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–04

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत जसीडीह औद्योगिक इकाई क्षेत्र राज्य निर्माण व पूर्व 300 औद्योगिक ईकाई संचालित थी, जो मरणाशन स्थिति में है;	आंशिक स्वीकारात्मक। देवघर विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में 127 औद्योगिक इकाई स्थापित किया गया है। जिसमें से वर्त्तमान में 23 इकाईयाँ कार्यरत है एवं 104 इकाईयाँ बंद है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित औद्योगिक ईकाईयों के बन्द होने से 10 हजार स्थानीय प्रभावित हुए हैं जिनके द्वारा औद्योगिक ईकाईयों को पुर्नजीवित करने की माँग की जा रही है;	जसीडीह औद्योगिक क्षेत्राधीन 104 इकाईयाँ काफी समय से बंद हैं, जिसकी वजह से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1300 से 1400 सौ व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3200 से 3400 सौ व्यक्ति बेरोजगार हुए है। अतः यह सही है कि कुल मिलाकर 10000 स्थानीय प्रभावित हुए है। औद्योगिक इकाईयों को पुनर्जीवित करने हेतु Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy (JIIPP)-2016 के कंडिका 6.15 में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित जसीडीह औद्योगिक ईकाईयों को पुर्नजीवित कर स्थानीय को रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपयुक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–05/2021 257 रॉंची, दिनांकः–06/03/2021

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञापांक–197 दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.2021
सरकार के अवर सचिव

324

सुश्री अम्बा प्रसाद, स० वि० स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–20

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि सी०सी०एल० द्वारा उत्पादित कोयले की आपूर्ति ट्रान्सपोर्टरों के द्वारा की जाती है;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के अन्तर्गत मगध एवं आम्रपाली परियोजना से हिन्डालको को बिरजु अग्रवाल, आधुनिक पावर प्लांट का रोशन ट्रांसपोर्ट, डाईटन, वेदानन्द, झबुआ पावर, बोकारो इलेक्ट्रो स्टील, सुरेश केडिया, उषा मार्टिन, राँची को कोयले की आपूर्ति की गयी है;	सी०सी०एल० अपने विभिन्न कोयला परियोजनाओं से उद्योगों को कोयला की आपूर्ति करती है।
3-	क्या यह बात सही है, कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा स्थानीय स्तर पर ट्रक मालिकों के भाड़ा पर उपयोग की गयी वाहनों का बकाये राशि का भुगतान नहीं किए जाने के फलस्वरूप ट्रक मालिक आत्महत्या को मजबूर हो रहे है, जिसका ज्वलंत उदाहरणं आम्रपाली निवासी जुगेश्वर साव आत्महत्या कर चुके है;	मगध–आम्रपाली परियोजना एवं कोयला ट्रांसपोर्टरों से संबंधित है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ट्रांसपोर्टरों द्वारा ली गयी ट्रकों के भाड़ा का भुगतान खण्ड दो में अंकित संबंधित परियोजनाों के ट्रांसपोर्टरों से ट्रक मालिकों को कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता0)–27/2021 662 /एम0, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–402 दिनांक–25.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/21
सरकार के उप सचिव

(325)

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–05 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल सिरासीता नाला अवस्थित है, जहाँ हजारों लोग दर्शक के रूप में जाते है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित स्थल का सौन्दर्यीकरण करने एवं पर्यटनीय दृष्टिकोण से विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	2.	उक्त स्थल के सौन्दर्यीकरण व पर्यटकीय विकास कार्य के लिए उपायुक्त, गुमला से प्राक्कलन व प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/14/2021 497 /राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–126/वि०स०, दिनांक–22/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ख–19 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 से झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद में सेवाकाल के दौरान विभिन्न पद पर मृत हुए झमाडा कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का मामला लंबित है?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद में अनुकंपा पर नियुक्ति लंबित होने के कारण 54 झमाडा कर्मियों के आश्रितों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय हो गयी है?	झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा मृत सरकारी सेवक के आश्रित को देय पावनाओं का भुगतान राशि की उपलब्धता के आधार पर किस्तों में किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद में अनुकंपा के आधार पर लंबित नियुक्ति के मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद अंतर्गत कर्मियों के नियोजन एवं अनुकम्पा नियुक्ति हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार हैं। प्राधिकार की वित्तीय स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण अनुकम्पा पर नियुक्ति नही की जा रही है। विभाग की ओर से झामाडा के वित्तीय स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए झामाडा के मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने हेतु विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

ज्ञापांक:– 01 / वि०मं०प्र०(तारा०)–08 / 2021 / न०वि०आ० 922 रॉंची, दिनांक :– 08/03/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–403 दिनांक–25.02.2021 के के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(327)

श्रीमती ममता देवी, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–23

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन बदस्तूर जारी है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु अंकुश लगाने के लिए इसका निरंतर अनुश्रवण किया जाता है। पिछले एक साल में अवैध खनन सबंधी 25 प्राथमिकी एवं 33 से अधिक मामलों में लगभग 8.50 लाख रूपये के जुर्माना की वसूली की गयी है।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अवैध खनन में माफिया, अधिकारी और बिचौलिया गठजोड़ से व्यापक पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जारी है जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि होने के साथ–साथ पर्यावरण, मानव जीवन तथा अन्य जीव–जन्तुओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित खनन् गतिविधियों में Concert to Operate एवं Concert To Establishment, झारखण्ड राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नहीं लिया गया है;	यह मामला झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची से संबंधित है। सभी खनन परियोजनाओं के संचालन की अनुमति CTO प्राप्त होने के पश्चात ही दी जाती है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में निहित शर्तों एवं बंधेजों का अनुश्रवण परिषद के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1, 2 और 3 में वर्णित विषयों की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(ता0)–37/2021 664 /एम0, राँची, दिनांक–08/03/2021
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–653 दिनांक–27.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

डॉ० नीरा यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–28 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तिलैया डैम, ध्वजाधारी पहाड़, वृन्दाहा फॉल, पेट्रो जलप्रपात पर्यटक स्थल है, जिसके जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत झरना कुण्ड, जो आस्था का प्रमुख स्थल तथा धुढमेश्वर शिव मंदिर का पर्यटनीय दृष्टिकोण से अविकसित रहने के कारण पर्यटकों को कठिनाईयाँ होती है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** ये दोनों स्थल अधिसूचित पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो तो क्या सरकार खण्ड (1) तथा (2) में वर्णित पर्यटक स्थलों को पर्यटकीय रूप से जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कर विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	तिलैया डैम से सटे उरवाँ में विभाग द्वारा टूरिस्ट कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया गया है, जिसका संचालन झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ जलक्रीड़ा के लिए 30 व्यक्ति की क्षमता का एक बोट तथा 06 व्यक्ति क्षमता का एक स्पीड बोट उपलब्ध है। नौका के परिचालन हेतु जिला स्तर से नौका परिचालन समिति भी गठित है। इसके अतिरिक्त डैम के पास शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है। ध्वजाधारी पहाड़, पेट्रो जलप्रपात व वृन्दाहा फॉल वन क्षेत्र क अन्तर्गत है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा इन स्थलों का विकास हेतु वन अनापत्ति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ध्वजाधारी पहाड़, पेट्रो जलप्रपात व वृन्दाहा फॉल पर आवश्यक पर्यटकीय सुविधा का विकास कार्य पर वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर ही विचार करना संभव हो सकेगा। खण्ड 2 में वर्णित स्थल अधिसूचित पर्यटक स्थलों की सूची में शमिल नहीं है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति कोडरमा को रू० 3.30 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे कोडरमा जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। प्रश्नाधीन स्थल के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/33/2021 496 /राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–641/वि०स०, दिनांक–27/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

329

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–20 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि तेनुघाट डैम मिट्टी से बना एशिया महादेश का सबसे बड़ा डैम है तथा पर्यटन विभाग के अधिसूचना सं0–01, दिनांक–22.02.2019 के द्वारा तेनुघाट डैम को श्रेणी–B का पर्यटक स्थल के रूप अधिसूचित किया गया है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि पर्यटन की असीम संभावना के बावजूद पर्यटन की दृष्टिकोण से उचित विकास नहीं करने एवं डैम के पास बने टूरिस्ट काम्पलेक्स रख–रखाव के अभाव में जर्जर हो जाने के कारण पर्यटकों को काफी निराशा होती है, जिसके कारण पर्यटन की संभावना के बावजूद पर्यटकों की संख्या दिनोदिन कम होते जा रही है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** तेनुघाट में पर्यटन की संभावना है। डैम के पास बने टूरिस्ट काम्पलेक्स का जीर्णोद्धार वित्तीय वर्ष 2019–20 में कराया गया है तथा इसका संचालन झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्य पर्यटन स्थल यथा पतरातु डैम या चाण्डिल डैम की तर्ज पर योजना बनाकर तेनुघाट डैम को विकसित करने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पतरातु का राजधानी राँची से निकट होने तथा आकर्षक घाटी से होकर जाने वाले रास्ते के कारण यहाँ की पर्यटन संभावना तथा पर्यटकों की संख्या काफी अधिक है। तेनुघाट की पर्यटक संभावना व यहाँ पर्यटकों की संख्या इस स्तर का नहीं है। अतः इसे पतरातु की भाँति विकसित करना प्रस्तावित नहीं है। तेनुघाट में एक टूरिस्ट कॉम्पलेक्स निर्मित है तथा झारखण्ड पर्यटन विकास लि० द्वारा संचालित है, जहाँ पर्यटकों हेतु आवासन एवं भोजन सुविधा उपलब्ध है। अन्य आवश्यक सुविधाओं के निर्माण व जलक्रीड़ा का संचालन स्थल की पर्यटन संभावना के अनुरूप कराये जाने पर भूमि उपलब्धता व बजट उपलब्धता को देखते हुए विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/31/2021 495 /राँची, दिनांक 08-03-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–185/वि०स०, दिनांक–24/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के संयुक्त सचिव

मितेश

Jharkhand tourism

श्रीमती सबिता महतो, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–23 की उत्तर सामग्रीः–

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1– क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत आये दिन जंगली हाथियों द्वारा लोगों के मरने/घर तोड़ने एवं फसलों को नुकसान कर देने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है ;</td><td>मानव हाथी द्वंद की घटनाओं में परिस्थितिवश उतार चढ़ाव होता रहता है।</td></tr>
<tr><td>2– क्या यह बात सही है कि हाथियों के आंतक से हुये नुकसान का कई लोगों को सरकार द्वारा देय मुआवजा का भुगतान वर्ष–2018 से लंबित है ;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।

वर्ष 2017–18 से 2020–21 (अबतक) इस क्षेत्र में किये गये मुआवजा भुगतान की विवरणी निम्नवत् है :–

<table><tr><th>वर्ष</th><th>पीड़ितों की संख्या</th><th>मुआवजा राशि</th></tr><tr><td>2017–18</td><td>576</td><td>2658350.00</td></tr><tr><td>2018–19</td><td>470</td><td>4098580.00</td></tr><tr><td>2019–20</td><td>429</td><td>4339668.00</td></tr><tr><td>2020–21 (अबतक)</td><td>251</td><td>3334150.00</td></tr></table>
वर्तमान में करीब 18.85 लाख रू0 मुआवजा भुगतान सत्यापन की कार्रवाई के कारण लंबित है। इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र भुगतान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>3–क्या यह बात सही है कि सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल हाथियों को वहाँ के प्रशासन द्वारा झारखण्ड की सीमा में प्रवेश करा दिया जाता है, जिसको रोकने हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है ;</td><td>अस्वीकारात्मक।

हाथी लम्बी दूरी तक आने–जाने वाला वन्यप्राणी है। पश्चिमी बंगाल एवं झारखण्ड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में भी जंगली हाथी भोजन एवं जल की तलाश में स्वमाविक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं। जंगली हाथियों में परम्परागत मार्गों पर विचरण करने की अनुवांशिक प्रवृति होती है।

ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांडील वन प्रक्षेत्र में मानव हाथी द्वंद की घटनाओं एवं उससे हो रही क्षति को यथा संभव कम करने हेतु सभी वनकर्मी सदैव प्रयासरत रहते हैं। वर्तमान में सरायकेला वन प्रमंडल के चांडील प्रक्षेत्र में 05 विशेष गश्ती दल हाथी जनित समस्या नियंत्रण में सक्रिय है। हाथियों के आवागमन की सूचना प्राप्त होने पर विशेष गश्ती दल क्षेत्रीय वनरक्षियों के साथ तथा स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों के झुंड को जंगल की ओर ले जाने की कार्रवाई करते हैं। जमशेदपुर वन प्रमंडल में QRT (Quick Response Team) प्रतिनियुक्त है, जिसका उपयोग सरायकेला वन प्रमंडल में भी जरूरत पड़ने पर किया</td></tr>
</table>

	जाता है। साथ ही साथ हाथियों से प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के बीच आवश्यकता अनुसार टॉर्च, मशाल, पटाखें इत्यादि सामग्रियों का वितरण किया जाता है ताकि वे हाथियों के हमले से स्वयं को भी सुरक्षित कर सकें। हाथी प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न वन सुरक्षा समितियों के खाते में नकद राशि भी जमा की जाती है, जिसका वे आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त जंगली हाथियों को अपने नैसर्गिक प्रवास स्थल तक सीमित रखने के लिए वन क्षेत्रों में जल संचयन संरचना एवं बांस वनरोपण का कार्य भी किया गया है। विगत 05 वर्षों में चाण्डिल क्षेत्रों में 10 चेक डैमों का निर्माण किया गया है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ईचागढ़ विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत जंगली हाथियों के आतंक से क्षतिग्रस्त फसल एवं घर के मुआवजा भुगतान एवं झारखण्ड सीमा पर ही हाथियों के प्रवेश को रोकने हेतु विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। जंगली हाथियों के विचरण पर रोक लगाना वन्यप्राणी संरक्षण के उद्देश्य के प्रतिकूल है, परन्तु जंगली हाथियों से हो रहे क्षति को यथासंभव कम करने और मुआवजा भुगतान ससमय हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी वनकर्मी सदैव कार्यरत हैं।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–40/2021– 854 व०प०, राँची, दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–868 दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संतोष
8.3.21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(331)

श्री भूषण बाड़ा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन-32 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला स्थित पाकरटांड प्रखण्ड अन्तर्गत बसतपुर ग्राम के निकट शंख नदी के बीच में अत्यन्त मनोरम पिकनिक स्थल अवस्थित है। उक्त पिकनिक स्थल का अबतक विकास नहीं हुआ है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** मनोरम पिकनिक स्थल अवस्थित है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित पिकनिक स्थल की मनोरम दृश्य को देखने एवं पिकनिक करने यहाँ सैलानी सालोंभर आते है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** सामान्यतः दिसम्बर व जनवरी माह में पिकनिक मनाते के लिए आस-पास से लोग जाते है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-(1) में वर्णित पिकनिक स्थल को पर्यटक स्थल का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलो के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति सिमडेगा को रू० 3.60 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे सिमडेगा जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। प्रश्नाधीन स्थल के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक-पर्यटन/वि०स०/45/2021 498 /राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-864/वि०स०, दिनांक-03/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand Tourism

332

520
08/03/2021

श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स०–04 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र (गढ़वा जिला) में अनुदानित उच्च विद्यालय की संख्या पाँच है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अनुदानित उच्च विद्यालय से छात्र–छात्राओं को पास करने के बाद नामांकन के लिए किसी अन्य 10+2 उच्च विद्यालय में जाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि सीट सीमित होने की वजह से अनुदानित विद्यालय से पास करने वाले बच्चों का नामांकन में परेशानी होती है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि भवनाथपुर विधान सभा अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों की कुल संख्या 05 है, जिसमें वर्ष 2020 में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या 1121 है। भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 10+2 विद्यालयों की संख्या 09 है, जिसमें नामांकन के लिए सीटों की संख्या सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में दो प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय भी है, जिसमें सीटों का निर्धारण निम्नवत् है :– (1) शंकर प्रताप देव इंटर महाविद्यालय, नगर उंटारी कला–1024, वाणिज्य–512, विज्ञान–768 (2) ठाकुर दयाल देव मानिकराज इंटर महाविद्यालय, अधौरा–कला–384, वाणिज्य–384, विज्ञान–128 स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में अवस्थित इंटर महाविद्यालयों में अनुदानित विद्यालय से पास करने वाले छात्र/छात्राओं के नामांकन के लिये पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुदानित उच्च विद्यालय से पास होने वाले बच्चों का नामांकन 10+2 उच्च विद्यालय या अन्य इंटरमिडिएट विद्यालय में नामांकन शत प्रतिशत हो जाय, इसका ख्याल रखते हुए सीट बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–3 में उत्तर सन्निहित है।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–10/2021 520   राँची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

(533)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, स० वि० स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–16

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला के बोआरीजोर प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम–नीमाकला, बड़ा सीमड़ा, बड़ा मोडाई हितुकिता एवं बसडीहा गावों में कोयला का खनन कार्य चल रहा है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में राजमहल परियोजना द्वारा मौजा–बसडीहा में खनन कार्य किया जा रहा है।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवों में कोयला निकालने के पश्चात् उक्त मौजा में ही जहाँ–तहाँ मिट्टी डम्प किया जा रहा है लेकिन कोयला खनन के पश्चात नियमानुसार उक्त मौजा के जमीन को समतलीकरण का प्रावधान है;	वस्तुस्थिति यह है कि कोयला खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अन्तर्गत कोयला खनन तथा प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान के अनुसार खनन के पश्चात निहित प्रावधान का अनुपालन करना अपेक्षित है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सभी मौजा के जमीनों को समतल कर उक्त मौजा के रैयतों को वापस दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–15/2021 658 /एम0, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–193 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/21

सरकार के उप सचिव

534

523
08/03/2021

श्री दीपक बिरुवा, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–39		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में झारखण्ड राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिये वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिये वेतनादि हेतु पन्द्रह लाख रुपये आवंटित की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। आवंटनादेश संख्या–48 दिनांक 10.11.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्थापना व्यय हेतु कुल रु0 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र सहायक अनुदान की राशि आवंटित की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त राशि का भुगतान विभागीय संकल्प–1377 दिनांक 20.08.2020 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये भुगतान किया जाना है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डल चाईबासा, प0 सिंहभूम में अवस्थित मदरसा इस्लामिया, सेनटोला चाईबासा सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद भूमि का लीज नवीकरण नहीं होने का जिक्र करते हुये भुगतान की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, जबकि भूमि नवीकरण हेतु दिनांक 17.12.1994 को ही उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन समर्पित है;	विभागीय संकल्प संख्या–1377 दिनांक 28.08.2020 की कंडिका 1(*ii*)(ख) में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि – "दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल एवं कोल्हान प्रमंडल, जो सी०एन०टी० अन्तर्गत आच्छादित है, इन प्रमंडलों में अवस्थित मदरसों में भूमि मदरसा के नाम निबंधित नहीं है, उन्हें यह अनुदान (बकाया सहित) देय नहीं होगा। यह संकल्प संख्या –1090 दिनांक 29.11.1980 के शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची (*JAC*) की अनुशंसा प्राप्त कर प्रस्वीकृति रद्द की जाय।" उक्त संकल्प के आलोक में प्रश्नाधीन मदरसे के अनुदान भुगतान पर रोक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मदरसा इस्लामिया, सेनटोला चाईबासा के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनादि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–3 में उत्तर सन्निहित है।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–46/2021 523   राँची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

335

श्री दिनेश विलयम मराण्डी, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–13

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि अमड़ापाड़ा प्रखण्ड में WBPDCL के द्वारा कोयला उत्खनन का कार्य कर रही है, परन्तु CSR नीति तहत जनहित का कार्य नहीं कर रही है, जैसे–पेयजल, शिक्षा, स्वस्थ्य सेवाएं एवं सड़क इत्यादि का सुविधा स्थानीय को नहीं दी जा रही है।;	पाकुड़ जिला में पछवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक WBPDCL कम्पनी के द्वारा कोयला उत्खनन की जा रही है। WBPDCL के द्वारा CSR नीति के तहत 1. 11 टैंकर के माध्यम से सभी प्रभावित गांवो में जलापूर्ति कार्य 2. विशनपुर गांव में जलापूर्ति हेतु डिजल जेनरेटर से विद्युत आपूर्ति कार्य, 3. प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा हेतु 06 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है। 4. विद्यार्थियों के आवागमन हेतु 04 स्कूल बस उपलब्ध कराया गया है। 5. Ceremonial & community expenditure of villages वहन किया जा रहा है। 6. अमड़ापाड़ा में प्रकृति बिहार का Maintenance, 7. बरमसिया गांव में अस्पताल एवं डिस्पेंसरी की सुविधा साथ ही 8. कथलडीह गांव से विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिमाह HRA का भुगतान, वृद्ध 150 व्यक्तियों को मासिक पेंशन का भुगतान, महिलाओं को Self help group activities के तहत कुटीर उद्योग हेतु मार्केट एवं परिवहन मुहैया कराने के अतिरिक्त बच्चों को खेलकूद प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फुटबॉल टुर्नामेंट आयोजित करवाया जा रहा है (अनुलग्नक–1 संलग्न)।
2-	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त नीति के तहत स्थानीय नागरिकों को लाभान्वित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(ता0)–16/2021 659 /एम0, राँची, दिनांक-24/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–194 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

अनुलग्नक 1

(16)

THE WEST BENGAL POWER DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A Government of West Bengal Enterprise)

WBPDCL

Corporate Identity No. : U40104WB1985SGC039154

Registered & Corporate Office:

"Bidyut Unnayan Bhaban", Plot No. 3/C, LA-Block, Sector-III, Bidhannagar, Kolkata-700 098

• Phone. No. (033) 2335-0571/2339-3100 • Fax : (033) 2330 3186 / 2339 3286 /2339 3197

• Website : www.wbpdcl.co.in • email : pkbose@wbpdcl.co.in & wbpdclmine2015@gmail.com

WBPDCL/Pachhwara/Agent/155

Date: 03.03.2021

To,
The District Mining Officer,
DIST: PAKUR (JH)

Subject: Reply of Starred Question Number 13 to be asked by Shri Dinesh Wiliam Marandi, MLA on 09.03.2021 regarding Corporate Social Responsibility (CSR) activity of Pachhwara (North) Coal Mine.

Ref: 1. Your office letter no. 248, dated 03.03.2021
2. Dy. Secretary (Mines & Geology Deptt.), letter vide no. 587, dated 02.03.2021

Sir,

The WBBPDCL and its MDO is carrying out the CSR activities in Project affected villages since April, 2017. These works are being done as per the directions and the requirement of PAF's. Regular meetings are being held with the District Administration & the Project Affected families/persons of Pachhwara North coal mine and MDO.

Presently the various CSR works are being continued to gain the confidence and maintain cordial relations with PAF's and PDF's are as follows:

1. Supply of drinking water to all project affected villages by 11 nos. (Eleven) Water Tankers
2. Power Supply to the Villagers of Bishunpur village for houses and drawing drinking water by Diesel Generator.
3. Six numbers (6) of Ambulance facility to the project affected villagers up to their required hospitals at Pakur & Dumka.
4. Providing 4 (Four) nos. School Bus facility to the students of project affected villages.
5. Payment towards the ceremonial and community expenditure of villagers.
6. Maintenance & Up-liftment of Prakriti Vihar park at Amrapara.
7. Providing the primary medical facilities to the villagers at Barmasia hospital & digital dispensary.
8. Monthly House Rent Allowances for Kathaldih villagers who have been shifted from mining area.
9. Monthly Pension to 150 no's for Old Age People.
10. Empowering women through SHG activities like collection of leaves of plates and allowing them to promote their products in local markets along with transport facility.
11. Donation/contribution to Football tournaments & Village Social Activities.

WBPDCL

THE WEST BENGAL POWER DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government of West Bengal Enterprise)

Corporate Identity No.: U40104WB1985SGC039154
Registered & Corporate Office:
"Bidyut Unnayan Bhaban", Plot No. 3/C, LA-Block, Sector-III, Bidhannagar, Kolkata-700 098
• Phone No. (033) 2335-0571/2339-3100 • Fax.: (033) 2339 3186 / 2339 3266 /2339 3197
• Website: www.wbpdcl.co.in • email: [illegible]

12. Repairing of old tube wells and installation of new tube well connection in Project affected villages are been operated where ever required.
13. Repairing of Houses in project affected villages.
14. Blanket distribution during winter and Saree distribution to the women's during festivals.
15. Medical health camps in Project affected villages time to time. Please check.
16. Provided Employment of about 200 persons from Bishnupur and Kathaldih village.
17. Monthly monitory support extended to all the women above 18 years.
18. Donation for local festival, Sohrai function in villages, providing Bus/transport facility for local pilgrim place visit.

It is to finally assure the Honorable House of Assembly of Jharkhand that the WBPDCL being A Govt. Company will implement all the applicable laws in its true spirit while carrying out the Mining operations in its Pachhwara North Coal Mine.

Thanking you,

Yours faithfully

For [signature]
03/3/2021

Agent & Project Officer, Pachhwara North Coal Mine
WBPDCL

Officer in charge, Siding
Pachhwara North Coal Mine
WBPDCL

Enclosure: Statement of CSR activity & expenditure incurred.

Copy to: 1. C&MD, WBPDCL
2. Director (Mining), WBPDCL
3. General Manager (Mining), WBPDCL

PACHHWARA NORTH COAL MINE, P.O: AMRAPARA, DISTT: PAKUR (JH)

Summary of Village wise, head wise, month wise details of CSR Works and the expenditure in the Project Affected villages of Pachhwara North Coal Mine in the year 2017 to 2020

			Head Wise CSR Activity					
Sl.no	Year	Period	Salaries for Manpower of Vehicle & equipments engaged	Diesel Amount for equipment & Vehicles	Welfare & Social Programs (Public & Community meetings expenses	Bore well repair & electrical work	Vehicle Hiring charges School bus/Pick-up Van/Water/Sprinkler / Ambulance/Generator charges.	Total Amount
1	2017	April to December	743,258	1,079,642	833,052	80,582	4,462,389	6,907,723
2	2018	January to December	1,060,449	1,933,617	681,482	54,280	5,485,232	9,203,460
3	2019	January to December	1,380,030	2,507,237	3,628,999	151,280	6,827,328	14,586,820
4	2020	January to November	3,952,247	1,838,350	11,224,529	153,320	7,350,232	24,196,798
Total Amount			7,137,834	7,525,336	16,167,002	439,458	23,715,281	54,984,901

For (signature) 23/3/2021
Siding in charge
Project Office Pachhwara North Coal Mine
Pachhwara (North) Coal Mine, WBPDCL
Email: [illegible]
WBPDCL

336

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–18 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत–बांकी में कोयल नदी पर दांडीगदह नामक एक अतिमनोरम जलप्रपात है;	1.	**स्वीकारात्मक**
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नौमिल से जलप्रपात की दूरी 11कि०मी० है रास्ता अति दुगर्म एवं पर्यटकों को पर्यटन हेतु कोई सुविधा प्राप्त नही होने पर भी उक्त जलप्रपात पर हजारों पर्यटक सालोभर पिकनीक मनाने के लिए आते रहते है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** जनवरी माह में लोग पिकनिक मनाते जाते है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नौमिल से जलप्रपात तक 11 कि०मी० पक्की सड़क एवं पर्यटकों की पर्यटन की सुविधा मुहैया कराने विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति सिमडेगा को रू० 3.60 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे सिमडेगा जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। प्रश्नाधीन स्थल वन क्षेत्र में है। प्रश्नाधीन स्थल के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने व वन विभाग में अनापत्ति प्राप्त होने की स्थिति में यहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/29/2021 505 **/राँची, दिनांक** 08.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–180/वि०स०, दिनांक–24/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

(337)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में डॉक्टर सरफराज अहमद, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 09/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त- 07 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला मे सरकार द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है ?	स्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है गिरिडीह जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय नहीं होने के कारण तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रों को राज्य के बाहर जाना पड़ता है।	अस्वीकारात्मक नामांकन राष्ट्रीय स्तर पर **National Testing Agency** द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तैयार राज्य के अभ्यर्थियों के मेधा सूची अनुसार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद **(JCECEB)** के द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाता है। अभ्यर्थी के शाखा /संस्थान के **Choice** और उसके मेधा क्रमांक अनुसार काउंसलिंग के उपरांत आवंटित किसी भी संस्थान में नामांकन होता है। अतः राज्य में अवस्थित किसी भी अभियंत्रण महाविद्यालय में राज्य के किसी भी क्षेत्र का अभ्यर्थी उपरोक्त अनुसार अपना नामांकन ले कर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
03	क्या यह बात सही है कि सरकारी क्षेत्र में तकनीकी संस्थान स्थापित करने से राज्य के गरीब छात्रों को कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगा ?	स्वीकारात्मक निजी अथवा पीपीपी मोड पर संचालित तकनीकी संस्थानों की तुलना में राजकीय तकनीकी संस्थानों का शुल्क कम है। इसके अलावे राजकीय तकनीकी संस्थानों में छात्राओं के लिए निशुल्क शिक्षण की व्यवस्था है।
04	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गांडेय (गिरिडीह) में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गिरिडीह में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना एवं निर्माण कार्य फिलहाल सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तीसरा तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-05/2021/HTESD/ 311 *राँची, दिनांक-08/03/2021*

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञाप संख्या प्र0 123** दिनांक **22/02/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

(338)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

424
07.03.21

श्री विनोद कुमार सिंह, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-10

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक व अन्य शिक्षक गृह जिला से बाहर कार्यरत है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष-2014, 2015-16 एवं 2019 में झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के अधीन की गई नियुक्ति के क्रम में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा की उत्तीर्णता के आधार पर अनुमान्यता के आलोक में योग्य अभ्यर्थी स्वेच्छा से संबंधित जिले में आयोजित कांउसिलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे एवं नियुक्त होकर विधिवत् पदस्थापित किये गये हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों द्वारा गृह जिला या अन्य विकल्प में स्थान्तरण की मांग उठती रही हैं,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थान्तरण नियमावली में संशोधन की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु विभागीय संकल्प संख्या-2093, दिनांक-06.08.2019 अधिसूचित है। वर्तमान में इस संकल्प के अधीन अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

7/3/2021

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14/व.2-01/2021.....424...../राँची, दिनांक ....07.03.....2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 116, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/2021

सरकार के अवर सचिव

389

श्री दुलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–06

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में स्थानीय लोगों को निजी उद्योगों में 75 प्रतिशत नियोजन देने की घोषणा की गयी है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के डेका, माँ अम्बे, हिल टाप, बी०के०बी० जैसे अनेक उद्योगों में स्थानीय लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं मिलती है;	उक्त चारों वर्णित इकाईयों द्वारा 928 लोगों को रोजगार दिया गया है जिसमें से स्थानीय 778 है जो कुल नियोजन का 84 प्रतिशत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्थानीय लोगों को निजी उद्योगों में अधिकतम नियोजन दिलाना सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	किसी भी औद्योगिक नीति में ऐसा प्रावधान नहीं है फिर भी स्थानीय को अधिकतम नियोजन प्राप्त होता है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–08/2021 256 राँची, दिनांक– 06/03/2021

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–398 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.2021
सरकार के अवर सचिव

(340)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

422
7.3.21

श्री दशरथ गागराई, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-12

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	**श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षिकाओं को रू.5000 मानदेय के रूप में दिया जाता है,	आंशिक स्वीकारात्मक। इस संबंध में अंकनीय है कि भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए अंशकालीन 05 शिक्षिकाओं के लिए मानेदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसके आलोक में कक्षा 6 से 8 हेतु रू. 200/– प्रति कार्यदिवस के आधार पर अधिकतम 25 दिनों के लिए रू. 5,000/– मानदेय निर्धारित है। वहीं कक्षा 9 से 12 हेतु रू. 150/– प्रति घंटी की दर से एक कार्य दिवस में अधिकतम 04 घंटी तथा माह में अधिकतम 20 दिनों के लिए सेवाएँ लेने का प्रावधान है। विद्यालयों द्वारा विषयवार आवश्यकता के आलोक में जितने कार्य दिवसों एवं घंटियों के लिए कार्य लिया जाता है उसी अनुसार उन्हें मानदेय का भुगतान संबंधित विद्यालय के द्वारा किया जाता है
2.	क्या यह बात सही है कि यह मानदेय पारा शिक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय से भी काफी कम है,	स्वीकारात्मक। पारा शिक्षकों का मानदेय भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत मासिक नियत मानदेय के अनुसार दिया जाता है। चूंकि पारा शिक्षक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षकों के रूप में कार्य करते हैं, इन्हें स्वीकृत नियत मानदेय प्रदान किया जाता है। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की अंशकालिक शिक्षिकाएँ घंटी आधारित मानदेय के अनुसार माहवार मानदेय उनसे ली गई सेवा के अनुसार देय होता है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष मे भारत सरकार द्वारा प्रति विद्यालय कुल 05 अंशकालिक शिक्षिकाओं की सेवा हेतु स्वीकृत राशि के तहत पारिश्रमिक देय है।

7/3/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–23/2021....422..../राँची, दिनांक 07-03-2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 219, दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/2021
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

341

श्री कमलेश कुमार सिंह, स० वि० स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–09

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के पथरा व पोलडीह पंचायत में करसबार नदी एवं कुर्मीपुर पंचायत में हड़ही नदी, हैदरनगर प्रखंड के कुकही पंचायत में कुकही नाला एवं बिलासपुर पंचायत में जहाड़ी नाला, मोहम्मदगंज प्रखण्ड के कादलकुर्मी पंचायत में लठेया नाला एवं मोहम्मदगंज पंचायत में सगराहा नाला, हरिहरगंज प्रखण्ड के कुलहिया व सेमरबार पंचायत में बतरे नाला तथा सरसोत पंचायत में खजुरिया नाला का बालू घाट Category-1 में चिन्हित है;	स्वीकारात्मक है। जिला स्तर पर District Survey Report के आलोक में श्रेणी–I एवं अन्य घाट चिन्हित है। श्रेणी–I के घाटों को संशोधन करने हेतु विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को निदेश निर्गत है।
2-	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित बालू घाटों सहित संपूर्ण पलामू जिला अन्तर्गत Category-1 में चिन्हित बालू घाटों में उपलब्ध बालू की गुणवत्ता अत्यंत घटिया है, जिसके कारण किसी भी निर्माण कार्य में उपयोग नहीं किया जाता है;	District Survey Report के अनुसार स्थानीय परिस्थिति के आलोक में बालूघाट के Category का निर्धारण किया जाता है, जिसकी विवेचना Jharkhand Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका–2 में की गई है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू घाटों का पुनः सर्वेक्षण कराकर हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा प्रखंड सहित पलामू जिला के प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 2 गुणवत्तापूर्ण बालू घाट को Category-1 में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–19/2021 660 /एम0, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–204 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

342

S21
08/03/2021

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–20

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्ति की घोषणा पिछले विधान सभा सत्र में की गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पंचम झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र में उक्त से संबंधित शीघ्र निर्णय लिये जाने एवं आगे काम करने से संबंधित वक्तव्य दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वित्तरहित शिक्षा नीति की समाप्ति की दिशा में विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि पंचम झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र में अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–25 (क्रम संख्या–95) से उद्भूत आश्वासन संख्या 36/2020 में यह उल्लेख किया गया है कि वित्त रहित शिक्षा नीति सहित अन्य सदृश मामलों पर विचार करने हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है। अद्यतन राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग से कोई भी अनुशंसा विभाग को अप्राप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–13/2021 S21 रॉंची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

343

श्री दिनेश विलियम मरांडी, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–12

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पाकुड़ जिला का हिरणपुर प्रखण्ड के महारो, कस्तुरी, शहरपुर, सीतापहाड़ी एवं फतेहपुर आदिवासी बाहुल्य ग्राम है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार शहरपुर, कस्तुरी एवं माहरो आदिवासी बहुल ग्राम है।
2-	क्या यह बात सही है, कि उक्त गाँवों में ग्राम के अंदर क्रशर मशीन पत्थर व्यवसायियों के द्वारा स्थापित किया गया है,	संबंधित मौजाओं में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्राप्त सहमति (CTE/CTO) एवं खनन नियमावली के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त कर स्टोन क्रशर स्थापित एवं संचालित है।
3-	क्या यह बात सही है कि उक्त सभी गाँवों से आदिवासियों का पलायन क्रशर के Dust के कारण हो रहा है;	इस कारण से पलायन का कोई मामला संज्ञान में नहीं है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन गाँवों के क्रशर मशीन बन्द कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(ता0)–20/2021 661 /एम0, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–205 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(344)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–15 का उत्तर प्रतिवेदन ।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि सरकार के द्वारा फिल्म डेवलपमेंट कॉउन्सिल ऑफ झारखण्ड का गठन किया गया है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि फिल्म डेवलपमेंट कॉउन्सिल ऑफ झारखण्ड में खोरठा व कुडमालि कलाकारों को वंचित रखा गया है,	अस्वीकारात्मक। फिल्म डेवलपमेंट कॉउन्सिल ऑफ झारखण्ड में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में योग्यता रखनेवाले/अनुभव रखने वाले लोगों को रखा गया है।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में खोरठा व कुडमालि भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है,	खण्ड–2 के आलोक में आवश्यक नहीं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फिल्म डेवलपमेंट कॉउन्सिल ऑफ झारखण्ड में खोरठा व कुडमालि कलाकारों को शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/03/2021–सू०ज०सं०.....107..... रांची दिनांक 08-03-2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या 201, दिनांक 24.02.2021 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन के 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
सरकार के संयुक्त सचिव

345

डॉ॰ नीरा यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-25 से संबन्धित उत्तर प्रतिवेदनः-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्व में महिला महाविद्यालय, कोडरमा का अपना भवन तैयार नहीं रहने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जे॰ जे॰ कॉलेज, कोडरमा में शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ की गयी थी, जिसमें 1100 छात्राएँ पठन-पाठन कार्य करती आ रही हैं ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि महिला महाविद्यालय का भवन डोमचाँच में वर्ष 2020 में बनकर तैयार है, लेकिन निर्मित भवन को भवन निर्माण विभाग द्वारा महाविद्यालय प्रशासन को नहीं सौंपे जाने के कारण स्थानीय छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक। निर्माण कार्य माह सितम्बर, 2020 में पूर्ण हुआ है। वर्तमान में इस भवन का उपयोग कोरोना रोगियों के उपचार हेतु अस्पताल के रूप में किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में भी संचालित है। इस कारण प्राचार्य द्वारा अभी हस्तगत नहीं लिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नवनिर्मित महिला महाविद्यालय में छात्राओं के बेहतर शिक्षा दिलाने हेतु महाविद्यालय प्रशासन को भवन निर्माण विभाग द्वारा हस्तांतरित कराते हुए पठन-पाठन व्यवस्था प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका-2 में निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-25/2021HTESD 328 / रांची, दिनांक- 08/03/2021/

प्रतिलिपिः- प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-642 दिनांक-27.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Suresh 08/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(346)

514.
08/03/2021

श्री रणधीर कुमार सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–44

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के सारठ अंचल के अन्तर्गत तेली पडुवा उच्च विद्यालय के 5 एकड जमीन में लगभग साढ़े तीन एकड़ जमीन दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पंडुवा, प्रखण्ड–सारठ पूर्व में राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालय था, जिसका वर्ष 2011–12 में उच्च विद्यालय में उत्क्रमण किया गया है। बिहार राज्य गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण एवं अधिग्रहण) अधिनियम 1976 की कंडिका– 4(1) के अनुसार ग्राम–तेली पंडुवा के प्लाट नं0–34 का कुल रकवा 3.70 एकड़ है, जिसमें विद्यालय अवस्थित है, पर सीधे सरकार का नियंत्रण है एवं सरकार के अधीन है। यह जमीन परती कदीम है। विद्यालय की उक्त जमीन के दाग सं0–34, जिस पर विद्यालय अवस्थित है, के कुल रकवा 3.70 एकड़ में से प्राप्त अभिलेख के आधार पर 0.81 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है।
2	क्या यह बात सही है कि सारठ के तेली पडुवा उच्च विद्यालय के जमीन का दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लेने से विद्यालय के विकास एवं विस्तार एवं बच्चों को पठन–पाठन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है,	वर्तमान में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तेली पंडुवा–2 में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 328 है एवं वर्ग कक्ष 24 है। पठन–पाठन सुचारू रूप से संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन दबंग अतिक्रमणकारियों से विद्यालय की जमीन मुक्त करना चाहती है तथा अतिक्रमण कारियों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त न्यायालय, देवघर में दायर राजस्व विविध अपीलवाद संख्या 56/1997–98, 43/1999–2000 एवं 8/1996–97 में अतिक्रमणकारियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन के आधार पर उनका बन्दोबस्ती खारिज किया गया है तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को विधिसम्मत उक्त भूखण्ड से उच्छेदी की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर द्वारा क्रि0मि0 केस नं0–692/2017 सरकार बनाम् विश्वनाथ मण्डल में दिनांक 10.11.2017 को पारित आदेश में अंचल अधिकारी, सारठ को विधिसम्मत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उपायुक्त, देवघर के पत्रांक 176/गो0 दिनांक 06.03.2021 द्वारा पुलिस अधीक्षक, देवघर, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर एवं अंचल अधिकारी, सारठ से इस संबंध में कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग की गयी है। विभागीय पत्रांक 166 दिनांक 04.02.2020 द्वारा सभी उपायुक्तों को विद्यालय भवनों एवं भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई हेतु निदेश निर्गत है।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–41/2021 514 राँची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

(347)

518
08/03/2021

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–46		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के 89 प्रखण्डों में 89 मॉडल विद्यालय संचालित हैं एवं 6 जिलों (यथा–गोड्डा, पाकुड़, अन्यान्य) में मॉडल कॉलेज भी बन कर तैयार है;	स्वीकारात्मक। राज्य के 89 प्रखण्डों में 89 मॉडल विद्यालय संचालित हैं।
2	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना से अपना हाथ खींच लिया है;	स्वीकारात्मक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 21.04.2015 के पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रभाव से केन्द्र सरकार का वित्तीय सहयोग समाप्त करते हुए इन विद्यालयों के संचालन की जवाबदेही राज्य सरकार पर स्थानान्तरित कर दी गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूरे खर्च का वहन कर इन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थायी शिक्षक बहाल कर छात्रों के हित में चालू रखना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य में संचालित मॉडल विद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों के साथ–साथ सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर पठन–पाठन का कार्य कराया जा रहा है। मॉडल विद्यालयों के लिए राज्य सरकार के संकल्प संख्या 777 दिनांक 18.05.2017 के द्वारा 11 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, एक प्राचार्य एवं उप–प्राचार्य सहित कुल 13 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है। तद्नुसार नियुक्ति नियमावली का गठन एवं अनुवर्ती निदेश/आदेश की कार्रवाई विचाराधीन है।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–52/2021 518 — राँची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
सरकार के उप सचिव।

348

श्रीमती सीता सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-08 से संबन्धित उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार सभी विधान-सभा क्षेत्रों में अंगीभूत डिग्री कॉलेज खोले जाने का निर्णय ली है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जामा विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से यहाँ के छात्र-छात्राओं को जिला मुख्यालय या अन्य स्थानों पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने को जाना पड़ता है और आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश संख्या-1956 दिनांक-07.09.2016 द्वारा जामा में डिग्री महाविद्यालय खोलने की सहमति दी गयी है। इसके लिए उपायुक्त, दुमका द्वारा अंचल जामा में 5.00 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित कर दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHEsec1/बजट सत्र 2021-10/2021/HTESD 335 / रांची, दिनांक- 08/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-124 दिनांक-22.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

08/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

349

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-03 से संबन्धित उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015-16 में 28 करोड़ रूपये से हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय कैंपस को वाई-फाई से लैस करने की योजना स्वीकृत की गई थी तथा उक्त योजना का कार्यान्वयन का आदेश नेशनल इन्फोरमैटिक सेन्टर सर्विसेस इनकॉरपोरेटेड को दिया गया था, लेकिन वर्णित कम्पनी को कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही सरकार द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन को 16 करोड़ रूपये राशि का भुगतान का आदेश दे दिया गया ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित योजना के अबतक पूरा नहीं होने के कारण उक्त विश्वविद्यालय प्रशासन, विभिन्न विभागों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को काफी परेशानियाँ हो रही है तथा नेक के मूल्यांकन पर भी प्रभाव पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में निक्सी के द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में कार्य को अंतिम रुप दिया जा रहा है। कार्य पूर्ण होते ही छात्रों एवं शिक्षकों को लाभ मिलने लगेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित योजना को पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	भारत सरकार के सूचना तकनीकी विभाग के अपर सचिव, विभागीय अपर मुख्य सचिव एवं निक्सी के एम०डी० के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार कार्यों की समीक्षा की जा रही है ताकि वाई-फाई का कार्य जल्द पूर्ण किया जा सके।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHEsec1/बजट सत्र 2021-5/2021/HTESD 338 / रांची, दिनांक- 08/03/2021/

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-119 दिनांक-22.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

08/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(550)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–15 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि राँची जिला के नगड़ी अंचल में कई कारखानों की स्थापना निर्धारित मानकों को पूरा किये बिना स्थापित कर दिये गये है ;	अस्वीकारात्मक। राँची जिला के नगड़ी प्रखण्ड में राईस मिल एवं मदर डेयरी फ्रूट एण्ड भेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लांट संचालित है। इन कारखानों को पर्षद द्वारा निर्धारित गाइडलाईन को पूरा करने के पश्चात स्थापना सहमति आदेश निर्गत किया गया है। स्थापना सहमति आदेश के शर्तों का अनुपालन किये जाने पर संचालन सहमति आदेश तद्नुरूप निर्गत की जाती है। वर्तमान परिदृश्य निम्नवत् है :– 07 (सात) राईस मिल संचालन सहमति निर्गत है एवं 02 (दो) राईस मिल का आवेदन प्रक्रिया में है तथा एक राईस मिल बंद हो चुका है। मदर डेयरी फ्रूट एण्ड भेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन सहमति का आवेदन प्रक्रियाधीन है।
2– क्या यह बात सही है कि इन कारखानों के कुड़े–करकट से स्वर्णरेखा नदी एवं हटिया डैम प्रदूषित हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक । राईस मिल से ठोस अपशिष्ट के रूप मे पैडी हस्क एवं हस्क ऐश निकलता है। पैडी हस्क का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तथा हस्क ऐस का उपयोग स्टील प्लांट में, ग्रामीणों द्वारा खेती में एवं निचले जमीन को भरने में किया जा रहा है। राईस मिल द्वारा बहिःस्त्राव के उपचार संयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित किये गये हैं।
3–क्या यह बात सही है कि इन कारखानों द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण तेजी से फैलाया जा रहा है जिससे ग्रामीण विभिन्न गंभीर बिमारियों से ग्रसित हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक । इन कारखानों से निकलने वाले जल, वायु एवं ध्वनि की जाँच पर्षद के प्रयोगशाला/पर्षद से निबंधित प्रयोगशाला द्वारा की जाती है। गंभीर बिमारियों से ग्रामीणों के ग्रसित होने की कोई सूचना पर्षद को प्राप्त नहीं है। उक्त सूचना की माँग स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से विभागीय पत्रांक–837, दिनांक–05.03.2021 द्वारा की गई है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब इन कारखानों में निर्धारित मानको का पालन कराने तथा अवैध रूप से निर्मित कारखानों को बन्द कर प्रदूषण पर रोक लगाने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कारखानों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं पाये जाने पर पर्षद द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–21/2021–851 व0प0, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–394 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8-3-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(351)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–02 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज विश्वविख्यात एंग्लोइंडियन ग्राम है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** मैक्लुस्कीगंज झारखण्ड में एंग्लोइंडियन ग्राम के रूप में जाना जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि यहाँ राज्य पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय विकास नहीं किया गया है;	2.	**अस्वीकारात्मक** (मैक्लुस्कीगंज में विभाग द्वारा एक पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण कराया गया है, जिसका संचालन JTDC द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Jharkhand Mega Tourist Circuit (Ranchi- Saraikela-Kharsawan-Purbi Singhbum Mega Circuit) के अन्तर्गत ITDC द्वारा खलारी पौंड, मैक्लुस्कीगंज पौंड तथा दुल्ली का विकास कार्य किया गया है।)
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मैक्लुस्कीगंज में इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकीय विकास कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	किसी भी स्थल का पर्यटक स्थल/ प्रक्षेत्र के रूप में विकसित होना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें समय–समय पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्य कराये जाते है/ सुविधाओं में वृद्धि किया जाता है। इको टूरिज्म में पर्यटक वन तथा वन्य प्राणियों को देखने/आनन्द लेने जाते है तथा इन पर्यटकों हेतु उस क्षेत्र में आवासन व भोजन की सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक होता है, ताकि भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटक उस क्षेत्र में रूककर वन भ्रमण का आनन्द ले सकें। मैक्लुस्कीगंज में एक पर्यटक सूचना केन्द्र भवन संचालित है जिसमें रेस्तरॉं (भोजन की व्यवस्था) एवं आवासन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भी आवासन एवं भोजन (Paying guest) की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है (Home Stay जैसा) तथा High Land Guest House नाम का एक Private Hotel भी है। इस क्षेत्र में सड़क भी बनी हुई है। इस प्रकार यह स्थल वर्त्तमान में इसके पर्यटन संभावना के अनुसार इको टूरिज्म के रूप में विकसित है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/05/2021 504 /राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–60/वि०स०, दिनांक–17/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand Tourism

352

श्री सुदिव्य कुमार, स० वि० स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–17

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि 1980 के पूर्व कोडरमा एवं गिरिडीह जिलों में सैकड़ों माइन्स संचालित हुआ करती थी;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2-	क्या यह बात सही है कि खनिज संपदा के उत्खनन, प्रसंस्करण एवं उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में 31 प्रकार के वृहद खनिजों को भारत सरकार ने लघु खनिज की श्रेणी में शामिल किया है जिसमें माइका भी शामिल है;	माईका वर्त्तमान में लघु खनिज के श्रेणी में आता है।
3-	क्या यह बात सही है कि माईका के माइंस चालू हो जाने से 50 हजार से अधिक कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल मजदूरों का नियोजन तथा शीट माइका एवं अन्य माइका के प्रसंस्करण से 2 लाख मजदूरों का नियोजन किया जा सकता है;	वर्त्तमान में The Jharkhand Minor Mineral (Auction) Rules, 2017 के अन्तर्गत माईका खदान के चार ब्लॉक में से दो ब्लॉकों के नीलामी के लिए प्रयास किया गया, जो असफल रहा। पुनः नीलामी प्रक्रियाधीन है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में बंद पड़े माईका के माईन्स को शुरू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता0)–32/2021 663 /एम0, राँची, दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–358 दिनांक–25.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

353

428
07.03.21

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्रीमती ममता देवी, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-43

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुलमी प्रखण्ड स्थित चरकि चट्टान में बन रहे कस्तुरबा आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधूरा है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दुलमी प्रखण्ड स्थित चरकि चट्टान में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा कराया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय के निर्माण में हो रही देरी के कारण प्रखण्ड की छात्राओं का शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। हजारो बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ने को विवश हैं, जिससे उनका शैक्षणिक विकास अवरुद्ध है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दुलमी प्रखण्ड अंतर्गत वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् वर्तमान में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय रामगढ़ में किया जा रहा है। झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय दुलमी में वर्ग 6 से 11 के कुल 277 छात्राएँ नामांकित है। सभी छात्राओं के लिए कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय रामगढ़ में शिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय भवन के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है;	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय दुलमी का निर्माण कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य में निगम द्वारा श्री दारोगा प्रसाद, अदर्श नगर, हिरापुर, धनबाद को संवेदक के साथ एकरारनामा दिनांक 13.04.2017 को किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह है। संवदेक द्वारा निर्माण कार्य काफी धीमी गति से किया जा रहा है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा अपने पत्रांक 294 दिनांक 10.02.2021 द्वारा माह जनवरी 2021 का उपलब्ध कराये गए प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार निर्माण कार्य की अद्यतन भौतिक स्थिति निम्नवत् है :- विद्यालय भवन : टाई बीम का ढलाई का कार्य पूर्ण। कॉलम का कार्य भूतल तक किया गया है। छात्रावास भवन : भूतल छत स्तर तक शट्टरिंग का कार्य प्रगति पर। चहारदिवारी : प्लास्टर का कार्य पूर्ण। **उपर्युक्त तीनों कार्यों की समेकित प्रगति 28%**

7/3/2021

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा करा कर छात्राओं को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य में हुई देरी के लिए जिम्मेदार संवेदक और पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय दुलमी का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य में हुई देरी के लिए जिम्मेदार संवेदक पर कार्रवाई हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से अनुरोध किया गया है।

7/3/2021

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16 / वि.2–29 / 2021.....428..... / राँची, दिनांक .....07-03.....2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 650, दिनांक 27.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/2021

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

354

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-12 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखण्ड के आसपास एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं रहने के कारण गरीब बच्चे- बच्चियाँ प्लस टू के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकारी गरीब बच्चे-बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कटिबद्ध है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित प्रखण्ड में महाविद्यालय शीघ्र खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में प्रखण्डवार डिग्री महाविद्यालय खोलने का राज्य सरकार का निर्णय नहीं है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-13/2021HTESD 331 / रांची, दिनांक- 08/03/2021/

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-212 दिनांक-24.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Suresh 08/3/21

(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

355

538
08/03/2021

श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–06

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोल्हान आवासीय विद्यालय का संचालन अस्थायी रूप से टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, चैनपुर में हो रहा है,	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में राज्य में संचालित 35,547 सरकारी विद्यालयों में से 4,496 विद्यालय, जिसमें जिला/प्रखण्ड मुख्यालय, शहरी निकाय एवं पंचायत स्तर तक के एक–एक विद्यालय को उत्कृष्ट, आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि कोल्हान आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए खूंटपानी अंचल के मोजोडिम्बा मौजा में भूमि चिन्हित किया गया है, परन्तु निर्माण कार्य तकनीकी कारणों से अबतक प्रारंभ नहीं हो सका है,	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी 24 जिलों में एक–एक तथा राज्य मुख्यालय, रांची में एक अतिरिक्त विद्यालय को *School of excellence* के रूप में विकसित करने हेतु योजना स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सभी जिलों में एक–एक आवासीय बालिका विद्यालय सहित 48 विद्यालयों एवं 7 मॉडल विद्यालयों को भी *School of excellence* के रूप में विकसित किये जाने हेतु योजना स्वीकृत की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोल्हान आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में प्राथमिकता के आधार पर 80 विद्यालयों को *School of excellence* के रूप में विकसित करने हेतु योजना स्वीकृत है, जिन्हें सी.बी.एस.ई. से संबद्धता दिलाये जाने हेतु भी प्रावधान रखा गया है, तदनुसार विचार हेतु सूची निर्धारित की गयी है।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–08/2021 538 रॉंची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

356

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–02

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला का एकमात्र जपला सीमेंट फैक्ट्री का स्क्रेप माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर वर्ष 2017 में नीलाम कर दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जपला सीमेंट फैक्ट्री का आधारभूत संरचना यथा जमीन, पानी, सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि आज भी उपलब्ध है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि जपला सीमेंट प्लांट के स्थान पर अन्य कोई सीमेंट प्लांट अथवा खनीज अधारित उद्योग की स्थापना करने से भूमि अधिग्रहण व विस्थापन जैसी कोई समस्या नहीं होगी साथ ही प्रत्यक्ष व अपत्यक्ष रूप से लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जपला सीमेंट फैक्ट्री के स्थान पर कोई सीमेंट प्लांट अथवा खनिज आधारित उद्योग की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सर्वश्री सोनवैली सीमेंट, जपला की लीज होल्ड भूमि Official Liquidator के समक्ष Liquidation हेतु विचाराधीन है, जिसे झारखण्ड सरकार द्वारा लेने के लिए विचार किया जा रहा है। उक्त भूमि को झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा प्राप्त कर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक–2156, दिनांक–28.08.2018 एवं पत्रांक–480, दिनांक–17.02.2021 द्वारा Official Liquidator उच्च न्यायालय, पटना से निर्धारित देय मूल्य एवं शर्तें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–03/2021 259 राँची, दिनांक– 06/03/202

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–198 दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.2021
सरकार के अवर सचिव

357

श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 09.03.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या–टन–29 का उत्तर–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री नलिन सोरेन, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि दुमका जिला के प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अंतर्गत ग्राम–मलूटी में प्राचीन मंदिर मलूटी का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2018–19 में शुरू किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। दुमका जिला के प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अंतर्गत ग्राम–मलूटी में प्राचीन मंदिर मलूटी का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2015–16 में शुरू किया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीय कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नही किया गया है;	अस्वीकारात्मक। संवेदक (संस्था) द्वारा कराये जा रहे प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार/संरक्षण कार्य के गुणवत्ता की नियमित जाँच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की केन्द्रीय दल द्वारा समय–समय पर कराया जाता है। साथ ही विभाग द्वारा भी मलूटी मंदिर समूह में किए जा रहे कार्यों का समय– समय पर निरीक्षण और गुणवत्ता की जाँच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अवकाश प्राप्त विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा कोरोना–19 के बंदी के बाद मार्च 2020 के बाद उपरोक्त मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य आधा–अधुरा कर बंद कर दिया गया है तथा अब तक कार्य शुरू नही किया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। संबंधित संवेदक (संस्था) एवं विभाग के साथ वर्ष 2015 में 05 (पाँच) वर्षों के लिए एकरारनामा किया गया था जिसकी अवधि वर्ष 2020 तक निर्धारित थी। एकरारनामे में किए गए प्रावधान के अंतर्गत इसकी अवधि अगले 05 वर्षों के लिए विस्तारित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, तत्पश्चात संस्था द्वारा द्वितीय चरण में कुल अवशेष 42 मंदिरों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का कार्य पुनः प्रारंभ किया जाएगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच विशेषज्ञों से कराकर प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मलूटी मंदिर समूह अंतर्गत प्रथम चरण में कुल 20 मंदिरों का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा द्वितीय चरण में अवशेष 42 मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण का कार्य विशेषज्ञों की देख–रेख में शीघ्र प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

<u>पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग</u>

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 26/2021 500 / राँची, दिनांक 08-03-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–639/वि०स०, दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(358)

डॉ कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–31 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के तरहसी प्रखण्ड अन्तर्गत झलखंडी धाम देवी मंदिर लोक आस्था का महत्वपूर्ण केन्द्र है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि पूरे पलामू प्रमंडल की आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। चैत्र नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु पहुंचते है तथा नौ दिनों तक भव्य मेला का आयोजन होता है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि आमजनों के लिए उक्त स्थल पर आज तक मुलभूत सुविधाओं का अभाव है तथा इन सुविधाओं को विकसित करने से उक्त स्थल एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो सकता है;	3.	आंशिक स्वीकारात्मक यहाँ शौचालय, पेयजल एवं बैठने के लिए बेंच निर्मित है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित स्थल पर मुलभूत सुविधा बहाल करने तथा उक्त स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	पलामू जिलान्तर्गत पलामू किला, मीम चूल्हा तथा मोहम्मदगंज पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति पलामू को रू० 3.50 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे पलामू जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। यह स्थल अधिसूचित पर्यटक स्थल नहीं है। प्रश्नाधीन स्थल के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/44/2021.....507...../राँची, दिनांक.....08.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–864/वि०स०, दिनांक–03/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(359)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में श्री कुमार जयमंगल, स०वि०स० द्वारा दिनांक 09/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सू०ई०-02 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड अन्तर्गत बिंदेश्वरी दूबे महाविद्यालय, पिछरी में अभियंत्रण महाविद्यालय का शिलान्यास दिनांक -02.03.2014 को कैबिनेट से पारित कर तत्कालीन माननीय मंत्री एवं सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री ए० के० पाण्डेय, आई०ए०एस० के द्वारा किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक (क) बिंदेश्वरी दूबे महाविद्यालय, पिछरी में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु कैबिनेट की स्वीकृति अप्राप्त है। (ख) वस्तुतः दिनांक 02/03/2014 को प्रश्नगत अभियंत्रण महाविद्यालय का शिलान्यास तत्कालीन माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के निदेश के आलोक में तत्कालीन माननीय मंत्री स्व० राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था।
02	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर अब तक अभियंत्रण महाविद्यालय का कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है, जिससे आमजनों में काफी रोस है;	आंशिक स्वीकारात्मक बिंदेश्वरी दूबे महाविद्यालय, पिछरी में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। आमजनों में रोस की कोई जानकारी नहीं है।
03	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल जो सभी अर्हता पूरी करता है अभियंत्रण महाविद्यालय का कार्य प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक , नहीं तो क्यों ?	उक्त स्थान पर अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण हेतु महाधिवक्ता की राय ली जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-14/2021/HTESD/310 *राँची, दिनांक- 08 /03/2021*

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञाप संख्या 397** दिनांक **25/02/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

360

श्री मनीष जयसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–05 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग शहर से लगभग 03 कि0मी0 की दूरी पर कैनरी पहाड़ अवस्थित है जहाँ 03 झीलें के साथ–साथ एक डाक बंगला भी बना है तथा उक्त पहाड़ के चारों ओर घना जंगल है जिसमें कई जंगली जानवर को देखा गया है ;	स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पहाड़ पर प्रतिदिन दूर–दराज से सैकड़ों पर्यटकों का आना–जाना लगा रहता है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार तथा सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है ;	हजारीबाग स्थित कनहरी हिल विभागीय अधिसूचना संख्या–01 दिनांक–22.02.2019 द्वारा श्रेणी–'C' (राज्य स्तरीय महत्व) का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। यहाँ प्रतिदिन पर्यटकों का आगमन (अंतरजिला) होता है।
3–क्या यह बात सही है कि अगर सरकार राँची स्थित बिरसा मुण्डा जैविक उद्यान के तर्ज पर खण्ड–01 में वर्णित पहाड़ को सुसज्जित व विकसित करें तो राजस्व की काफी वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के और अधिक अवसर मिलेगी ;	केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत नीति के अनुसार प्राणी उद्यानों (Zoo) का प्रमुख उद्देश्य देश की समृद्ध जैव विविधता, विशेषकर वन्यजीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयासों को और आगे बढ़ाना और उन्हें तेज करना है। किसी भी नए प्राणी उद्यान की स्थापना हेतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) द्वारा वर्ष 2008 में विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत किए गए हैं तथा इन्हीं निदेशों के अनुरूप देश में किसी भी प्राणी उद्यान की स्थापना की जा सकती है। वन्यप्राणी उद्यानों का प्रमुख उद्देश्य देश की समृद्ध जैव विविधता, विशेषकर वन्यजीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। उक्त नीति एवं दिशा–निर्देश के आलोक में फिलहाल कैनेरी पहाड़ आस–पास के क्षेत्र में वन्यप्राणी उद्यान विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–01 में वर्णित पहाड़ को खण्ड–03 में वर्णित उद्यान के तर्ज पर विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पूर्व की कंडिकाओं में उत्तर निहित है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–09/2021– 852 व०प०, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–130 दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-23 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गुरूनानक कॉलेज, धनबाद के छः शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु संदर्भ सं०- 4112/15, दिनांक-30.11.2015 को कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा निदेशक (उच्च शिक्षा), झारखण्ड सरकार को भेजी गयी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित महाविद्यालय में नियुक्ति से संबंधित संचिका सं०-147/2016 का विगत पाँच वर्षों से विभाग में विचारार्थएवं अनुमोदनार्थ लंबित रहने के कारण गुरूनानक कॉलेज में शासी निकाय द्वारा नियुक्त छः कर्मचारियों 1. संजय कुमार सिंह, 2. मोती लाल महतो, 3. इम्तियज अहमद, 4. मदन लाल गोस्वामी, 5. जसपाल सिंह झोका तथा 6. गुरमीत कौर का स्थायीकरण लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः गुरु नानक महाविद्यालय अल्पसंख्यक महाविद्यालय है । अल्पसंख्यक महाविद्यालय में वित रहित पदों पर कार्यरत कर्मियों को वित सहित पदों पर समायोजन/नियुक्ति/सेवा शर्त आदि निर्धारण की कार्रवाई हेतु मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संलेख प्रारूप पर वित विभाग की परामर्श हेतु भेजी गई थी । वित विभाग के द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सुझाव दिया गया जिसका निराकरण करते हुए संलेख प्रारूप को समावेश किया जाना है । वित विभाग की सहमति के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद का अनुमोदन लिया जाना है । इस तरह कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गुरूनानक कॉलेज, धनबाद में शासी निकाय द्वारा नियुक्त छः शिक्षकेतर कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका-2 में सन्निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-22/2021HTESD 833 / रांची, दिनांक- 08/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-388 दिनांक-25.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

08/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(362)

श्रीमती अर्पणासेन गुप्ता, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–20 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पूर्व से ही स्थापित कोयला खदान हार्ड कोक प्लांट, रिफैक्ट्रीज तथा मैथन पावर प्लांट के धुल–धुआँ से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पूर्व एवं वर्तमान में स्थापित सभी इकाईयों के द्वारा वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किया गया है, यथा 1. कोयला खदान में कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग, नियमित अंतराल में टैंकर द्वारा जल छिड़काव, वृक्षारोपण इत्यादि। 2. पावर प्लांट में इ0एस0पी0, बैग फिल्टर्स, फिक्स्ड टाइप वाटर स्प्रींकलर्स, वृक्षारोपण। 3. हार्ड कोक प्लांट के चिमनी उत्सर्जन नियंत्रण हेतु डबल टनल/डाउन ड्राफ्ट सिस्टम एवं कोल क्रसिंग सेक्सन में बैग फिल्टर्स, जल छिड़काव, वृक्षारोपण। 4. रिफैक्ट्रीज इकाइयों में किल्न के साथ चिमनी की व्यवस्था, जल छिड़काव, वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। इस संबंध मे पर्षद् द्वारा समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश दी जाती है ताकि इकाई से संबंधित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन हो सके एवं पर्यावरण का संरक्षण हो सके।
2– क्या यह बात सही है, कि मैथन पावर प्लांट बनने तथा अधिकतम पेड़ों की कटाई होने से निरसा प्रखण्ड के ग्राम–बेलडांगा, रतनपुर, काशीडीह, मदनडीह, डोमभुई, बांध टोला, कमारडीह, साना, गांगपुर, पालुडीह, लुकुईडीह, चारकुनिया आदि गाँवों के लोगों को प्रदूषण से किडनी, हार्ट तथा साँस संबंधी रोगों से ग्रसित हो रहे है ;	यह मामला स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित है। विभागीय पत्रांक–799, दिनांक–04.03.2021 द्वारा सूचना माँगी गई है।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निरसा विधान सभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में वृहत् पैमाने पर पौधा/वृक्षारोपण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	धनबाद वन प्रमंडल द्वारा निरसा विधान सभा क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में कुल 307268 पौधों (वृक्षों) का रोपण किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में 155 हे0 गैर वनभूमि में कुल 258230 पौधे के रोपण की अग्रिम कार्य किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–25/2021–855 व0प0, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–389 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8-3-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

363

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-17 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के जिला साहेबगंज, प० बंगाल, बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित है तथा हजारों छात्र-छात्राएँ के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु तथा केन्द्र व राज्य स्तरीय ऑन/ऑफ लाईन प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अन्यत्र जाते हैं; जिस कारण स्थानीय छात्र-छात्राओं को कठिनाईयाँ होती है ;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना का सुदूरवर्ती जिला, जहाँ अधिकांशतः अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, उन्हें कठिनाईयाँ होती है ;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय में ऑन/ऑफ लाईन संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का भवन स्थापित नहीं रहने से यहाँ के अभ्यर्थियों को कठिनाईयाँ हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक (1) ऑनलाइन/ऑफलाइन संयुक्त प्रतियोगित परीक्षा के लिए अलग से कोई भवन स्थापित नहीं है । (2) जिला मुख्यालय में चिन्हित महाविद्यालयों/संस्थानों में समय- समय पर ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज जिला मुख्यालय अन्तर्गत केन्द्र और राज्य स्तरीय ऑफ/ऑन लाईन प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संयुक्त परीक्षा भवन निर्माण कराकर यहाँ के छात्र-छात्राओं को सुविधा दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभाग का कोई निर्णय अभी नहीं है ।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-12/2021HTESD 334 / रांची, दिनांक- 08/03/2021/

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-214 दिनांक-24.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

08/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।